# BCCI BULLETIN

Vol. 51 | SEPTEMBER : 2020 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# वाणिज्य – कर विभाग द्वारा एक मुश्त निबटारा योजना पर चैम्बर में विचार–विमर्श

कार्यक्रम में एक मुश्त निपटारा योजना की जानकारी देते वाणिज्य-कर विभाग के अपर आयुक्त श्री मार्कंडेय ओझा। साथ में उपस्थित वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारीगण तथा चैम्बर एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारीगण।

दिनांक 22 सितम्बर 2020 को अपराह्न 4 बजे से वाणिज्य कर विभाग द्वारा लाए गए OTS Scheme पर विचार–विमर्श हेतु एक बैठक चैम्बर प्रांगण में आयोजित हुई।

इस बैठक में विभाग की ओर से अपर आयुक्त श्री मार्कण्डेय ओझा, श्री रामाधार सिंह, संयुक्त आयुक्त श्री अशोक चन्द श्रीवास्तव एवं श्री संजय कुमार प्रसाद तथा चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी वरीय सदस्य श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ एवं श्री आलोक पोद्दार के साथ-साथ अन्य संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

## बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को चैम्बर की भावभीनी विदाई

श्री एस. के. नेगी, अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग को Farewell Meeting के अवसर पर दिनांक 25.9.2020 को चैम्बर के Industry Sub & Committee के Convenor श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं Energy Sub & Committee के Convenor श्री संजय भरतिया द्वारा चैम्बर का Coffee Table Book समर्पित किया गया।

## आकर्षक औद्योगिक नीति बनायी जाये

"राज्य में औद्योगिक विकास नितांत जरूरी है। इसी से राज्य में रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। आर्थिक विकास होगा। सूबे में बिजली और जमीन उपलब्ध है। मानव शक्ति की भी कोई कमी नहीं है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर संसाधनों की कमी रहेगी। इसलिए यह जरूरी है कि एक आकर्षक औद्योगिक नीति बनायी जाये।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 21.9.2020)

## बिहार को मिले सौगात का चैम्बर ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य में 9 हाइवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास और सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना के शुभारंभ का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई)ने स्वागत किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि हाइवे प्रोजेक्ट के पूरा होने से बिहार के विकास में तेजी आएगी। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने से गाँव में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से अधिक हो जाएगी। गाँवों में व्यावसायिक गतिविधियों का विकास होगा। ग्रामीण महिलाओं और किसानों को कई तहत के लाभ होंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.9.2020)

## अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना का शुभारम्भ स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चैम्बर की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। हाईवे प्रोजेक्ट्स के पूर्ण होने पर बिहार में विकास में तीव्रता आयेगी। इसके साथ ही बिहार एवं आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त झारखंड व उत्तर प्रदेश में लोगों के आवागमन में भी सहुलियत होगी।

बिहार वैट के तहत लंबित विवादित मामले के निपटारे हेतु एक बार पुन: चैम्बर के आग्रह पर एक मुश्त समझौता योजना (OTS) लाया जाना व्यावसायियों के हित में है और स्वागत योग्य है। चैम्बर की अनुरोध पर ही यह योजना लाई गई थी। इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2020 थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते मामलों का निपटारा नहीं हो सका था। दुबारा OTS लाये जाने से बिहार वैट संबंधित व्यावसायियों के लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। इस योजना को पुन: लाये जाने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित वाणिज्य-कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी एवं राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ0 प्रतिमा को हार्दिक धन्यवाद ।

कराधान और अन्य कानूनों (कुछ प्रावधानों में राहत एवं संशोधन) सम्बन्धी विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानूनों में नियमों के अनुपालन संबंधी कुछ परिवर्तन किये गये हैं। इससे कोरोना वायरस संकट के बीच कर दाताओं को रिटर्न भरने, पैन को आधार से जोड़ने जैसे कई अनुपालन संबंधी नियमों में राहत मिलेगी ।

संसद में पारित नये कृषि बिल से अनाज, दाल, आलू, प्याज एवं खाद्य तेल को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने और भंडारण की सीमा हटाने से कृषि उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी ।

8 नवम्बर, 2020 को मिथिलांचल के लोगों को दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली, मुम्बई व बेंगलुरू के लिए प्रतिदिन तीन जोड़ी स्पाइस जेट विमानों का परिचालन चालू होने की उम्मीद है । दरभंगा 8 नवम्बर से पटना व गया के बाद तीसरा शहर हो जायेगा जहाँ से रोजाना सर्विस फ्लाइट ऑपरेट करने लगेगी। दरभंगा से फ्लाइट शुरू होने से हर साल दिपावली व छठ में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण, सहरसा, पूर्णियाँ के अतिरिक्त नेपाल के जनकपुर व विराटनगर के लोगों को पटना आने की जरूरत नहीं होगी।

अनलॉक 4 के तहत 21 सितम्बर, 2020 से कई पाबंदियों पर छूट के तहत सभा, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी व अंतिम संस्कार में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। फिर भी सावधानी आवश्यक है। ''मास्क एवं 6 फीट की दूरी, बहुत जरूरी'' का अनुसरण करना आवश्यक है। कोरोना काल में अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने 17वीं बिहार विधान सभा चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव तीन चरणों में होगा। आप सभी बन्धु चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें क्योंकि राज्य का भविष्य आम जनता के मतदान पर ही निर्भर है। जिन व्यक्तियों को हम चुनकर संसद तक पहुँचा रहे हैं, वे लोग देश के विकास व समस्याओं के निवारण कर पाने में सक्षम हो पायेंगे या नहीं, सभी मतदान पर ही निर्भर है।

सादर,

आपका

**पी0 के0 अग्रवाल**

## बिजली के फिक्स्ड चार्ज को माफ करे सरकार: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने लॉकडाउन के कारण राज्य के औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए माह जून, जुलाई और अगस्त 2020 के बिजली के फिक्स्ड चार्ज को पूरी तरह से माफ करने की मांग की है। इस अवधि में केवल जो बिजली की वास्तविक खपत हुई है, उसी का चार्ज लिया जाये।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं। कुछ अनुमति प्राप्त व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान इस दौरान कभी चले, कभी बंद रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी स्थापना का खर्च भी निकालना काफी कठिन हो रहा है। ऊपर से विद्युत के फिक्स्ड चार्ज के अतिरिक्त आर्थिक बोझ को सहन करना संभव नहीं हो पा रहा है।

**( साभार : प्रभात खबर 16.9.2020 )**

## सूबे के हर कमिश्नरी स्तर पर हो इपीएफओ कार्यालय

सूबे के हर कमिश्नरी स्तर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) कार्यालय खोला जाये ताकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं को दूर नहीं जाना पड़े। ये बातें श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने दिनांक 15.9.2020 को इपीएफओ की 106वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक में कहीं। वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय गया, दरभंगा और कटिहार को क्षेत्रीय कार्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव इपीएफओ कार्यालय के अधिकारियों के समक्ष रखा।

इपीएफओ कार्यालय की ओर से बताया गया कि वर्तमान समय में सूबे में 31890 प्रतिष्ठान पीएफ के दायरे में हैं। पिछले तीन साल में 131 फीसदी नये प्रतिष्ठान को इपीएफओ से जोड़ा गया है। बैठक में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) राजीव भट्टाचार्य, क्षेत्रीय आयुक्त-1 राजेश पांडेय, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से महामंत्री अमित मुखर्जी, भारतीय मजदूर संघ की ओर से देवेन्द्र कुमार शर्मा आदि शामिल थे।

**( साभार : प्रभात खबर, 16.9.2020 )**

## प्रोजेक्ट में स्थानीय निर्माताओं की सामग्री की सप्लाइ को प्राथमिकता दे सरकार : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य में चल रही परियोजनाओं में सूबे के स्थानीय निर्माताओं के सामान की सप्लाइ में प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि फ्लाइओवर, सड़कें, फुट ओवरब्रिज के साथ-साथ पटना रेल प्रोजेक्ट में बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नीति के तहत राज्य के निर्माताओं को वस्तुओं की आपूर्ति में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, जिससे कि राज्य में स्थित उद्योग फल-फूल सके और राज्य का आर्थिक विकास हो। उन्होंने बताया कि बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण तेजी से हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं में राज्य के

निर्माताओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का काफी स्कोप उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नीति के तहत स्थानीय उद्योग को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, इससे न केवल उद्यमियों को फायदा होगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को और बल मिलेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का मुख्य अनुबंध अगर बिहार के बाहर के एजेंसियों को दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनसे यह अनुबंध किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य में, जो भी वस्तुओं की आवश्यकता उन्हें होगी उसमें से अधिकांश वस्तुओं की खरीद स्थानीय स्तर के निर्माण एजेंसियों से ही करेंगे। बहुत जरूरी होने पर ही राज्य के बाहर के एजेंसियों से खरीदारी करेंगे। **( साभार : प्रभात खबर, 13.9.2020 )**

## ओटीएस योजना से व्यवसायियों को मिलेगी राहत: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वाणिज्यकर द्वारा बिहार वैट के अन्तर्गत लंबित विवादित मामलों के निपटारे के लिए पुन: लाए गए एक मुश्त समझौता योजना (ओटीएस) का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सुशील कुमार मोदी एवं राज्य कर आयुक्त सह सचिव डा. प्रतिमा के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद बिहार वैट में व्यवसायियों का इंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, सेंट्रल टैक्स, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि के विवादित मामले लंबित चल रहे थे। उसे देखते हुए चैम्बर के अनुरोध पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा विवादों का निपटारा के लिए ओटीएस लाया गया था। इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2020 थी, लेकिन विभाग की ओर से कोरोना काल में लॉकडाउन को देखते हुए 14 जुलाई, 20 तक इसका विस्तार किया गया था। चूँकि बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम में तीन माह तक ही तिथि विस्तार का प्रावधान था, इसलिए इसकी तिथि का विस्तार नहीं हो पाया था। कोरोना काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए चैम्बर ने मांग की थी कि इसकी तिथि का विस्तार सरकार प्रावधान में आवश्यक संशोधन करते हुए करे। **( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.9.2020 )**

## कोविड प्रभावित 26 उद्योगों को राहत

कोविड - 19 से प्रभावित देश के प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों की हजारों कंपनियों पर बकाए बैंकिंग कर्ज की वसूली को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने अपना फ्रेमवर्क जारी कर दिया है।

यह फ्रेमवर्क के.वी. कामथ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। केन्द्रीय बैंक ने सोमवार 7 सितम्बर 2020 को कामथ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के कुछ ही देर बाद उद्योग जगत को कर्ज अदायगी में राहत और कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े निर्देश भी जारी कर दिए। आरबीआइ ने ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पावर जैसे 26 औद्योगिक सेक्टरों के बकाए कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता साफ किया है। समिति ने इन उद्योगों के लिए अलग-अलग मानक तय किए हैं जिनके आधार पर उनके लिए कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की योजना तैयार करने की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। कामथ समिति ने इन सेक्टरों को राहत देने के लिए बेहद तकनीकी फॉर्मूला तैयार किया है।

इसमें कंपनियों की टोटल नेटवर्थ की तुलना में कुल बकाए कर्ज का अनुपात, कुल राजस्व के मुकाबले कुल ऋण, डेट सर्विस कवरेज रेश्यो (मौजूदा कर्ज मुगतान की क्षमता) और मौजूदा आय व ऋण भुगतान के अनुपात का ध्यान रखा जाएगा। हर सेक्टर की प्रमुख कंपनियों की कोविड से पहले की माली हालत और कोविड के आर्थिक असर का अध्ययन करने के बाद ये अनुपात तैयार किए गए हैं। वैसे आरबीआइ ने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए बैंकों को यह भी कहा है कि वे अपने स्तर पर भी कंपनियों की हालत देखकर फैसला कर सकते हैं।

**बैंकों में उत्साह नहीं :** बैंकों में आरबीआइ के इस निर्देश को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। दैनिक जागरण ने कुछ बैंकों से बात की है जिनका कहना है कि ये बेहद तकनीकी हैं और इन्हें लागू करने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। मसलन, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए कहा गया है कि उन्हें कर्ज अदायगी में राहत दी जाएगी, जिनके कुछ बकाया कर्ज के मुकाबले कुल राजस्व का अनुपात 4.50 फीसद के बराबर या इससे ज्यादा हो। लेकिन अगर किसी कंपनी का यह अनुपात 4.45 फीसद होगा तो क्या उसे बैंक यह सुविधा नहीं देंगे? बैंकों का कहना है कि 2001 व 2008-09 में भी बकाए कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग की योजना लागू की गई थी, जो ज्यादा आसान थी। कंपनियों के कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन कोविड-19 से पहले की उसकी स्थिति के आधार पर करने को भी कहा गया है। **( साभार : दैनिक जागरण, 8.9.2020 )**

### कारोबारियों को राहत

## बिना पेनाल्टी 30 तक कंपनियाँ फाइल कर सकती हैं रिटर्न

कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन को देखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने कंपनी और एलएलपी को बड़ी राहत दी है। कंपनियाँ अब 30 सितम्बर तक बिना पैनाल्टी के रिटर्न फाइल कर सकती है। वहीं, मंत्रालय ने कंपनियों को एजीएम आयोजित करने के लिए तीन महीने तक की मोहलत दी है। कंपनी रजिस्ट्रार बिहार हिमांशु शेखर ने बताया कि बिहार में पंजीकृत सभी कंपनियों को एजीएम के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसकी की मांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ-साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम-2020 की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत कंपनियाँ व एलएलपी अपनी बकाया रिटर्न बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की 30 सितम्बर तक फाइल कर सकती है। कंपनी रजिस्ट्रार ने बताया कि रिटर्न नहीं फाइल करने वाली कंपनी या एलएलपी पर प्रतिदिन 100 रुपए पैनाल्टी का प्रावधान है, इससे अभी शिथिल कर दिया गया है। **( साभार : दैनिक भास्कर, 11.9.2020 )**

बिहार सरकार

### वाणिज्य-कर विभाग

### GST विवरणी दाखिल करने में विलम्ब शुल्क से राहत

वैसे करदाता जिनका वर्ष 2019-20 में Aggregate turnover रु. 5 करोड़ से कम था, उनके लिए GSTR- 3B दाखिल करने के क्रम में विलम्ब शुल्क में राहत की निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:-

(क) माह मई, जुन, जुलाई तथा अगस्त 2020 के लिए बिना विलम्ब शुल्क के GSTR - 3 B दाखिल करने हेतु निम्नरूपेण अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है-

| कर अवधि | "विलम्ब शुल्क" के बिना विवरणी दाखिल करने हेतु अन्तिम तिथि |
|---|---|
| मई | 15 सितम्बर 2020 |
| जून | 25 सितम्बर 2020 |
| जुलाई | 29 सितम्बर 2020 |
| अगस्त | 3 अक्टुबर 2020 |

(ख) माह जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की किसी माह की लम्बित GSTR - 3 B विवरणी को यदि दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक दाखिल कर दिया जाता है तो विलम्ब शुल्क में निम्न राहत उपलब्ध होगी:-

(1) यदि विवरणी के अनुसार कर देयता शुन्य है तो विलम्ब शुल्क भी शुन्य होगा।

(2) यदि विवरणी के अनुसार भुगतेय कर शुन्य से अधिक है तो विलम्ब शुल्क की राशि रुपये 500/- (प्रति विवरणी) ही देय होगी।

**अन्तिम तिथि से पूर्व GSTR - 3 B दाखिल करें तथा विलम्ब शुल्क से बचें।**

**राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव**

**( साभार : हिन्दुस्तान, 12.9.2020 )**

## एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने पर ओटीपी जरूरी

एटीएम से धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत एसबीआई एटीएम से 10 हजार रुपये या इससे अधिक राशि निकालने पर दिन में भी ओटीपी की आवश्यकता होगी। एसबीआई के ये बदले हुए नियम 18 सितम्बर से लागू हो जाएंगे।

अभी तक रात में आठ बजे से सुबह आठ बजे इतनी रकम निकालने पर ही ओटीपी की जरूरत होती थी। इसके साथ ही बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से मोबाइल नंबर अपडेट करवाने को कहा है। ऐसे में अगर आप 18 सितम्बर से 10 हजार या इससे अधिक पैसे एटीएम से निकालने जाएंगे तो एसबीआई की तरफ से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को डेबिट कार्ड की पिन के साथ डालना होगा तभी एटीएम से पैसा निकलेगा।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2020 )**

### एसबीआइ कार्ड ने दी ग्राहकों को सुविधा

## नहीं चुकाये गये कर्ज अब जुड़ेंगे पुनर्गठन योजना से

एसबीआइ कार्ड अपने उन ग्राहकों को रिजर्व बैंक की कर्ज पुनर्गठन योजना या स्वयं की पुनर्भुगतान योजना से जोड़ने की प्रक्रिया में है जिन्होंने कर्ज लौटाने को लेकर दी गयी मोहलत समाप्त होने के बाद भुगतान नहीं किया है। इस पहल का मकसद ग्राहकों को भुगतान के लिए और समय देना है। एसबीआइ कार्ड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि कर्ज लौटाने को लेकर दी गयी मोहलत को लेकर कई ग्राहक पहले तीन महीने का भुगतान नहीं कर रहे हैं और कंपनी पूरे उद्योग की तरह उन्हें 'स्टैंडर्ड' खाता मान रही हैं, हालांकि मोहलत समाप्त होने के बाद से एसबीआइ कार्ड ने दूसरी मोहलत योजना में ग्राहकों पंजीकरण को लेकर पहल की है।

**सिबिल को नहीं मिलेगी जानकारी :** जो ग्राहक आरबीआइ के बजाये कंपनी की पुनर्गठन योजना का चयन करेंगे, उन्हें लाभ होगा क्योंकि ऐसे मामलों की जानकारी सिबिल को नहीं दी जायेगी।

**एसबीआइ ने एफडी पर घटायी ब्याज दर :** भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने फिक्स्ड डिपोजिट की ब्याज दर में बदलाव किया है। बैंक ने दो करोड़ रुपये से कम की '1 साल से लेकर 2 साल से कम' अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर में कटौती की है। यह कटौती 0.20 फीसदी की है। एफडी के बाकी सभी मैच्योरिटी पीरियड पर ब्जाज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नयी ब्याज दर 10 सितम्बर 2020 से प्रभावी हो गयी है। **( साभार : प्रभात खबर, 14.9.20 )**

## केसीसी के तहत 2 लाख करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य, 69689 किसानों को अब तक मिले 960 करोड़ रुपए

**• एसएलबीसी की 73वीं बैठक • मोदी ने कम ऋण वितरण पर जताई चिंता, कहा-उद्यमियों को अधिक से अधिक लोन दें बैंक**

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ढाई करोड़ किसानों के बीच दो लाख करोड़ का ऋण बांटने का लक्ष्य है। लेकिन, बैंकों की लापरवाही के कारण अबतक 69689 किसानों को मात्र 960 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं, डेयरी फिशरीज व पोल्ट्री किसानों के ऋण का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। इस सेगमेंट में 40,602 आवेदन में से 7, 217 को ही 63.39 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जबकि कम्फेड के जरिए राज्य के 12 लाख डेयरी किसानों का आवेदन बैंकों को भेजा गया है। लक्ष्य की तुलना में स्वीकृत ऋण की राशि बहुत ही कम है। उपमुख्यमंत्री दिनांक 9 सितम्बर 2020 को अधिवेशन भवन में 73वीं राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैंकों से उन्होंने कहा कि लकड़ी (काष्ठ) आधारित उद्योगों के साथ-साथ कृषि व्यवसाय से जुड़े सात क्षेत्र, जिनमें मखाना, फल-सब्जियाँ, शहद, मक्का, व बीज आदि के प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार ने विशेष योजना बनाई है, के तहत 15 से 35% तक कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंक को इस क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण देना होगा। बैठक में मंत्री प्रेम कुमार, श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी, राणा रणधीर सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ आदि के साथ स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधि तथा चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी भी उपस्थित थे।

**पिछले पांच साल का साख-जमा अनुपात**

| वर्ष | जमा | साख | अनुपात |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 240288 | 108115 | 45.59% |
| 2016-17 | 280370 | 123191 | 43.94% |
| 2017-18 | 312829 | 134997 | 45.38% |
| 2018-19 | 345234 | 145120 | 44.09% |
| 2019-20 | 371783 | 152257 | 43.03% |
| 2020-21 | 378600 | 156680 | 43.41% (जून तक) |

(जमा व साख राशि करोड़ में)

**इस तिमाही में साख-जमा अनुपात 43.41% रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 43.03% था।**

**कोरोना संकट से निपटने के लिए केन्द्र के घोषित पैकेज का लाभ किसानों व उद्यमियों को दें बैंक :** उपमुख्यमंत्री ने कोरोना संकट से निबटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज का अधिकाधिक लाभ बिहार के किसान, उद्यमी और छोटे कारोबारियों तक पहुँचाने में बैंकों को सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एमएसएमई प्रक्षेत्र व अन्य उद्यमियों को केन्द्र द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ के बंधन मुक्त ऋण के तहत बिहार के 1.17 लाख आवेदकों को 2051 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं बैंकों के किस्त भुगतान (मोरेटोरियम) से दी गई छूट के तहत बिहार के 9 लाख से ज्यादा खाताधारकों के (टर्म लोन वर्किंग कैपिटल) कर्ज की 11 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सन्निहित है, को सहूलियत दी गई।

**कोरोना संक्रमण के बीच साख जमा में 0.38% की वृद्धि :** चालू वित्तीय वर्ष- 2020 के प्रथम तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून में राज्य के साख जमा में 0.38% की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में हुई है।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 10.9.2020 )**

## 42 लाख एमएसएमइ के रुपये 1.63 लाख करोड़ के कर्ज हुए मंजूर

**• आत्मनिर्भर अभियान पैकेज का है बड़ा हिस्सा • 10 सितम्बर तक 25 लाख एमएसएमई को 1.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित**

बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अब तक 42 लाख इकाइयों को 1.63 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इस योजना के तहत 10 सितम्बर तक 25 लाख एमएसएमई को 1.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया जा चुका है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से एमएसएमई इकाइयाँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। **( विस्तृत : प्रभात खबर, 14.9.2020 )**

### लोन लेने में देना पड़ता है एक से दो हजार तक की स्टांप ड्यूटी

## छोटे लोन में स्टांप ड्यूटी बड़ी समस्या माफ करने की तैयारी में लगी सरकार

कोरोना को देखते हुए सरकार ने छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने और कृषि सेक्टर के विकास के लिए खासतौर से कई लोन योजनाओं की शुरुआत की है। परंतु इसका समुचित लाभ संबंधित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी मुख्य वजह छोटे लोन में एक से दो हजार रुपये तक की स्टांप ड्यूटी का लगना भी है। इस कारण से फुटपाथी दुकानदारों, छोटे किसानों, मत्स्य या पशुपालकों के

अलावा केसीसी लेने वाले छोटे लोन लेने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा पाते हैं। अगर कोई 10 या 20 हजार का छोटा लोन भी लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी कम-से-कम एक रुपये का स्टांप ड्यूटी देना पड़ जाता है। इस वजह से इस तरह के लोन देने की योजनाएँ अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार इस तरह के लोन में स्टांप ड्यूटी माफ करने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग में इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही इस पर राज्य सरकार के स्तर से अंतिम सहमति बन जायेगी। इसके तहत छोटे लोन और कोरोना के दौर में मध्यम, लघु व सूक्ष्म (एमएसएमइ) इकाईयों को बचाने और पुनर्जीवित करने को उनके कुल बकाये का 20 प्रतिशत लोन देने की पहल की गयी है। ऐसे सभी लोन में भी स्टांप ड्यूटी माफ करने पर विचार किया जा रहा है।

**(विस्तृत : प्रभात खबर, 12.9.2020)**

**फोन के विल से जानी जा सकेगी निम्न आय-वर्ग की कर्ज लेने की क्षमता**

## टेलीफोन बिल भी कर्ज का आधार

देश के निम्न आय-वर्ग के जिन लोगों का कोई कर्ज इतिहास नहीं रहा और जिन्हें छोटे कर्ज की जरूरत है, उन्हें मोबाइल फोन बिल के आधार पर कर्ज देने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। फोन के मासिक रिचार्ज बिल से ऐसे लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री या कर्ज लेने की क्षमता का आकलन हो सकता है, जिसके आधार पर उन्हें कर्ज लेने में सहूलियत होगी। हाल ही में निम्न आय-वर्ग के ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधा दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी।

**(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.9.2020)**

## बैंकों के लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा ज्यादा जरूरी: आरबीआइ

**चालू खाता संबंधी नियमों में बदलाव से किया इन्कार, अब कंपनियों को जिस बैंक से कर्ज लेना हो, उसी में चालू खाता खुलवाना होगा**

जिस बैंक से कर्ज लेना हो, उसी में करंट अकाउंट यानी चालू खाता खुलवाने की नई बाध्यता का विरोध कर रहे उद्योग जगत को कोई राहत नहीं मिली। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों पर आपत्ति जताने वाले उद्योग जगत से आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने स्पष्ट कहा कि कर्ज लेने वाले कारोबारी की कैश फ्लो की स्थिति का पता बैंक को होना ही चाहिए। यह समूचे बैंकिंग तंत्र के लिए सही कदम है। आरबीआइ गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंकों को जमाकर्ताओं के हितों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित कर्ज खाते की रिस्ट्रक्चरिंग में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि जमाकर्ताओं के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। हाल ही में आरबीआइ ने यह नियम बनाया है कि कारोबारी जिस बैंक से कर्ज लेंगे, उन्हें उसी में करंट अकाउंट खुलवाना होगा। इससे विदेशी व निजी बैंक परेशान हैं। उद्योग जगत को भी यह नियम नागवार गुजर रहा है क्योंकि उन्हें नया खाता खुलवाना होगा।

देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर फिक्की के साथ वर्चुअल बैठक में दास ने कोविड के बाद भारतीय इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए पाँच सूत्र बताए। उन्होंने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में केन्द्रीय बैंक की तरफ से हरसंभव मदद दी जाएगी। इस वर्ष अप्रैल से ही आरबीआइ लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और अपने नियमों में बदलाव कर इकोनॉमी से जुड़े हर वर्ग की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है।

**(सभार : दैनिक जागरण, 17.9.2020)**

## दिवालिया कानून तीन माह और स्थगित

कोरोना की वजह से संकट में जूझ रही कंपनियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिवाला ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया (आईबीसी) को तीन माह और स्थगित करने का फैसला किया है। मार्च में दी गई छह माह की स्थगन अवधि 25.9.2020 को खत्म हो रही थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत कोरोना वायरस महामारी की वजह से 25 मार्च से छह महीने तक कोई नई दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यह छह माह की अवधि 25 सितम्बर को समाप्त हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि इस बारे में संबंधित प्रावधानों को स्थगित करने पर फैसला अगले सप्ताह लिया जाएगा। उसी के मद्देजर नई अधिसूचना जारी की गई है। कोविड-19 की वजह से सरकार ने 25 मार्च से छह महीने के लिए संबंधित प्रावधानों को स्थगित करने का फैसला किया था। इसके लिए जून में अध्यादेश लाया गया था देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को ही लॉडकाउन लगाया गया था। नई अधिसूचना के तहत आईबीसी की धारा 7, 9,10 को तीन माह और स्थगित करने का फैसला किया गया है।

**(साभार : हिन्दुस्तान, 25.9.2020)**

## क्षतिपूर्ति पर फैसला जीएसटी काउंसिल में ही: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति पर फैसला इसकी काउंसिल में ही किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में ही इस पर निर्णय किया जाएगा कि क्षतिपूर्ति के लिए किस प्रकार कर्ज लेना है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी टैक्स बढ़ोतरी का विचार नहीं है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान पर संसद में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्यों की क्षतिपूर्ति केन्द्र देना नहीं चाहता। लेकिन अटॉर्नी जनरल की राय के मुताबिक कंसोलिडेटेड फंड से क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज लेने के विकल्प को लेकर वह राज्यों के साथ संपर्क में हैं। कर्ज लेने में सरकार राज्यों की मदद करेगी। इस कर्ज का भुगतान सेस की राशि से किया जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ कई अन्य राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज लेने को तैयार नहीं है। हालांकि देश के 13 राज्यों ने कर्ज के विकल्प पर अपनी मंजूरी दे दी है।

**(साभार : दैनिक जागरण, 19.9.2020)**

**सरकार की नई कर व्यवस्था से कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी**

## आयकर विवाद निपटाने को फेसलेस अपील शुरू

देश में आयकर मामलों में फेसलेस अपील की व्यवस्था शुरू हो गई है। अब अपील करने और सुनवाई में शामिल होने के लिए करदाता को किसी भी दफ्तर में जाने या किसी भी अधिकारी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में फेसलेस असेसमेंट लांच किया था। इस नई व्यवस्था में टैक्स तय करने में पैदा विवादों की अपील फेसलेस तरीके से करनी संभव हो सकेगी। इसके जरिए मामलों की सुनवाई किसी भी अधिकारी को रैंडम तरीके से अलॉट कर दी जाएगी जिससे अपील पर निर्णय करने वाले अधिकारियों की पहचान जाहिर नहीं हो पाएगी। साथ ही करदाता को अधिकारी के दफ्तर में जाने और हाजिर होने की जरूरत भी खत्म हो गई है। इस नए सिस्टम में सारे कम्यूनिकेशन्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएँगे। अपील का फैसला और रिव्यू का काम एक अधिकारी के बजाय टीम किया करेगी। हालांकि, गंभीर फ्रॉड के मामलों, काले धन, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स के मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं संवेदनशील टैक्स मामलों की भी अपील संभव नहीं है। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में अपील टैक्सपेयर के राज्य में दाखिल होंगे।

### इस तरह बदलेगी आयकर विभाग की तस्वीर

1. **फेसलेस आकलन की क्यों जरूरत?** इसका मकसद टैक्स के मामलों का तेजी से निपटारा करना है। इसके अलावा करदाता और कर अधिकारी के बीच संबंध को कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी होगी। नई व्यवस्था में गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य मामले फेसलेस आकलन से निपटाए जाएंगे।

2. **क्या सभी कर मामलों का निपटारा फेसलेस से होंगे?** सरकार की तैयारी आने वाले समय में सभी तरह के कर मामलों का निपटारा फेसलेस के

जरिये करने की तैयारी है। कराधान और अन्य कानून विधेयक 2020 ने आयकर कानून में कम से कम आठ प्रक्रियाओं को फेसलेस मूल्यांकन योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया।

**3. करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध :** सरकार ने फेसलेस असेसमेंट में करदाताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने का पुख्ता प्रबंध किया है। अगर कोई कर अधिकारी पाँच लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति से अतिरिक्त टैक्स की मांग करता है तो अंतिम आदेश पारित होने से पहले उसकी समीक्षा की जाएगी।

**4. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा :** इस सुविधा के द्वारा भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत करदाता की अगर कोई शिकायत है तो उसकी अपील को इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास भेजा जाएगा। यह अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। यही नहीं, यह अफसर किसी भी शहर का हो सकता है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 26.9.2020 )**

## गौरव उद्योग क्षेत्र के नवाचार मामले में बिहार देश में अव्वल

बिहार के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जिनके दिमाग में बिजनेस से जुड़ा कोई नया विचार पल रहा है। उद्योग क्षेत्र में नवाचार के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। स्टार्टअप इंडिया की ओर से वर्ष 2019 के उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग केन्द्र ने जारी की है। बिहारी युवाओं ने एक बार फिर यह साबित किया है कि नए और बेहतरीन विचारों के मामले में उनका कोई सानी नहीं है।

केन्द्र सरकार ने सात अलग-अलग कैटेगरी में सूची जारी की है। इसमें नवाचार यानी इनोवेशन लीडर तैयार करने के मामले में बिहार पहले पायदान पर है। दूसरा नाम केरल और तीसरा महाराष्ट्र का है। खास बात यह भी है कि देश की व्यावसायिक राजधानी मुम्बई वाला राज्य महाराष्ट्र इस सूची में बिहार से दो पायदान नीचे है।

उद्योग क्षेत्र में नए विचारों को मूर्त रूप देने के लिए बिहार ने 2016 में अपनी स्टार्टअप नीति लागू की थी। तब बिहार उन गिने-चुने राज्यों में से था जिन्होंने अपनी अलग स्टार्टअप नीति बनाई थी। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर 2017 में इस नीति में कुछ बदलाव कर इसे और प्रभावी बनाया गया। स्टार्टअप के लिए सरकार अब औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन देने की भी व्यवस्था करने जा रही है।

**उद्योग क्षेत्र में भी बिहार लीडर :** केन्द्र द्वारा सात कैटेगरी में जारी की गई राज्यों की रैंकिंग में बिहार का नाम दो श्रेणियों में पहले पायदान पर है। नवाचार के अलावा लीडर कैटेगरी में भी राज्य पहले पायदान पर है। इस कैटेगरी में बिहार के अलावा महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान का नाम है।

"स्टार्टअप को लेकर बिहार सरकार बेहद संजीदा रही है। नवाचार के लिए सबसे पहले बिहार ने ही 10 लाख रुपये नए स्टार्टअप को देने की व्यवस्था की। सरकार और भी सुविधाएँ देने जा रही है।"

– डॉ. एस. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, उद्योग

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.9.2020 )**

## उद्योग की जमीन पर नहीं देना होगा ज्यादा ब्याज

राज्य के उद्योग जगत को सरकार ने एक और बड़ी राहत दे दी है। उद्योग लगाने के लिए बिहार आधारभूत संरचना प्राधिकार (बियाडा) से ली गई जमीन पर अब उन्हें अधिक ब्याज नहीं चुकाना होगा। अभी तक वे बियाडा को दस प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहे थे मगर अब सवा छह प्रतिशत देना होगा। हालांकि यह दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय होने वाले बैंक रेट के हिसाब से घटता-बढ़ता रहेगा। बैंक रेट के अलावा बियाडा दो प्रतिशत अतिरिक्त, जोड़कर ब्याज लेगा।

कोरोना काल में उद्योग जगत खासी परेशानियों से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में कई बदलावों के साथ ही उसमें कोविड अध्याय जोड़ा गया है। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में विशेष भूमि आवंटन एवं माफी नीति को मंजूरी दी है। इसमें उद्योग की जमीन की दर निर्धारण के फॉर्मूले को बदला गया है। इससे उद्यमियों को बियाडा की जमीन सस्ती मिल सकेगी। इसके साथ ही इस जमीन की कीमत चुकाने में वसूले जाने वाले ब्याज को घटाने की मांग भी काफी समय से उठ रही थी। उद्यमियों का कहना था कि जब आरबीआई ने ब्याज की दरें घटा दीं तो भी 10 प्रतिशत ब्याज वसूला जा रहा है। सरकार ने अब इसका भी तरीका बदल दिया है। अब यह आरबीआई की बैंक रेट के हिसाब से ही रहेगा। उस पर बियाडा अपना दो प्रतिशत अतिरिक्त वसूल सकेगा। बता दें कि बैंक का मौजूदा ब्याज दर सवा चार प्रतिशत है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 12.9.2020 )**

### बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016

## अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को उद्योग लगाने पर अधिक लाभ

राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने को राज्य सरकार की ओर से बिहार ओद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में अतिपिछड़े वर्ग के उद्यमियों को अधिक लाभ मिलेगा। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन के बाद अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को सम्मिलित किये जाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। नयी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी किसी नयी इकाई की स्थापना करते हैं, तो ब्याज दर के लिए 115 प्रतिशत ब्याज अनुदान या सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम होगा, वह मान्य होगा। यह लाभ सूक्ष्म व लघु उद्यम को छोड़कर मिलेगा। सूक्ष्म व लघु इकाइयों के मामले में अगर अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती है, तो ब्याज अनुदान की दर 13.8 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगा, वहीं मान्य होगा। अतिपिछड़ा वर्ग की ओर से नयी इकाई स्थापित की जा रही है, तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा एसजीएसटी का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। उद्यमी द्वारा भुगतान किये गये किसी भी व्यापारिक कर को छोड़कर, जिसकी अधिकतम सीमा गैर प्राथमिकता क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5% व प्राथमिकता क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजना लागत का 115% होगा। **( साभार : प्रभात खबर, 9.9.2020 )**

**अच्छी खबर बिड़ला 718 करोड़ व तिरुपति सुगर 747 करोड़ का करेगी निवेश**

## राज्य में 2 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी

सरकार राज्य में निवेश आए और लोगों को रोजगार मिले, इसे लेकर काफी गंभीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) की बैठक हुई। इसमें 2060 करोड़ के संभावित निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी। एसआईपीबी ने 85 निवेश प्रस्तावों को स्टेज-1 का क्लियरेंस दिया। इनमें सबसे अधिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित 38, विनिर्माण से 30, प्लास्टिक व रबड़ से 9, हेल्थकेयर, अक्षर ऊर्जा व सर्विस सेक्टर से 2-2, टेक्सटाइल एवं लघु यंत्र से एक-एक प्रस्ताव है।

बिड़ला जैसी बड़ी कंपनी भी निवेश के लिए आगे आई है। कंपनी 718 करोड़ की लागत से फ्लाई ऐश आधारित पीपीसी व पीएससी निर्माण इकाई राज्य में लगाएगी। एसआईपीबी ने कंपनी के प्रस्ताव को क्लियरेंस दे दिया है। वहीं तिरुपति सुगर मिल लिमिटेड पश्चिम चंपारण में 747 करोड़ निवेश करेगी। भागलपुर में 110 करोड़ की लागत से भागलपुर टेक्सटाइल मिल लगाने की योजना है, जबकि इस्टर्न इंडिया बॉयोफ्यूल लिमिटेड पूर्णिया में ग्रेन बेस्ड इथनॉल डिस्टलरी लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने 105 करोड़ रुपया निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।

**ज्याइंट वेंचर में उद्योग लगाने के लिए तलाशें पार्टनर :** राज्य में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और अधिक से अधिक उद्योग लगे, इसके लिए राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में कई प्रावधान किया है। पहली बार राज्य सरकार की कंपनियां (पीएसयू) को निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ

मिलकर उद्योग लगाने की अनूमति दी है। ज्वाइंट वेंचर को लेकर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निगम व कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को ज्वाइंट वेंचर बनाने और इसके लिए उपयुक्त पार्टनर खोजने का निर्देश दिया है। संबंधित विभाग के प्रधान सचिव व सचिव से भी इस संबंध में राय ली गई।

**अनाज से एथनॉल बनाए जाने से किसानों को होगा फायदा :** इस्टर्न इंडिया बॉयोफ्यूल लिमिटेड ने पूर्णिया में ग्रेन बेस्ड एथनॉल डिस्टलरी लगाने का प्रस्ताव दिया। कंपनी 105 करोड़ रुपए निवेश करेगी है। ग्रेन बेस्ड एथनॉल उत्पादन से राज्य के किसानों को काफी फायदा होगा। दरअसल, इसमें एथनॉल उत्पादन के लिए टूटे और खराब अनाजों का उपयोग किया जाता है। किसानों के सड़े-गल्ले अनाज भी काम आ जाएगा। राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में अनाज से एथनॉल बनाने की अनुमति दी है।

**ब्रिटानिया पहले ही दे चुकी है राज्य में 700 करोड़ निवेश का प्रस्ताव :** ब्रिटानिया बिहार में 700 करोड़ रुपया का निवेश प्रस्ताव पहले ही दे चुकी है। कंपनी पिछले साल ही निवेश के लिए राज्य सरकार से समझौता कर चुकी है। बियाडा ने कंपनी को बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के लिए 15 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दिया है। जल्द ही कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की योजना है।

"कोरोना काल में निवेश को बड़ी कंपनी आगे आ रही। इससे राज्य में निवेश का वातावरण बनेगा। अनाज आधारित एथनॉल कंपनी से किसानों का फायदा होगा।"

**– डॉ. एस सिद्धार्थ**

प्रधान सचिव, उद्योग व वित्त विभाग, बिहार

**( साभार : दैनिक भास्कर, 15.9.2020 )**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

**"बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020"**

काष्ठ उद्योग से जुड़े उद्यमियों एवं कृषकों के लिए उच्चतर आय की प्राप्ति, शिल्पकारों का कौशल विकास एवं रोजगार के साधन में वृद्धि।

**प्रमुख विशेषताएँ :-**

- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुमान्य अनुदान के अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान।
- स्थापित उद्योगों के आधुनिकीकरण / विस्तार / तकनीकि उन्नयन / विविधीकरण हेतु 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान। अधिकतम राशि सीमा 70 लाख।
- नये काष्ठ आधारित एकीकृत उद्योगों के स्थापना हेतु 50 लाख रुपये या अधिक परियोजना लागत के लिए 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान। अधिकतम राशि 1.75 करोड़।
- छोटी फर्निचर /काष्ठ आधारित इकाईयों, जिनमें कम से कम 10 लोग काम करते हों, को एक बार आधुनिक औजार/संयत्र एवं कौशल संवर्द्धन के लिए दो लाख तक की सहायता।
- शिल्पकारों को अधिकतम 50,000/-रु लागत तक के आधुनिक औजार/संयत्र।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए पूंजीगत अनुदान की सीमा, नीति में तय अधिकतम राशि सीमा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में 5 प्रतिशत अधिक का लाभ। इसी प्रकार महिला/दिव्यांग/युद्ध में शहीदों की विधवा/तेजाब पीड़ित/थर्ड जेन्डर आदि के लिए भी यही सुविधा।
- केन्द्र तथा राज्य की अन्य योजनाओं से इन लाभों के संयोजन की अनुमति।

इसका लाभ उठायें, अपने परिवार की खुशहाली बढ़ायें
तथा औरों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करें।

**जल-जीवन-हरियाली # BiharGovtInitative #JalJeevanHariyali #HariyarBihar**

**0612-2233333 DEFCCOfficial**

**( साभार : प्रभात खबर, 16.9.2020 )**

## फ्लाई ऐश उद्योग को बिहार में मिलेगा प्रोत्साहन : मोदी

**• सूबे में चल रहे 210 फ्लाई ऐश उद्योग • भवन निर्माण विभाग शत-प्रतिशत फ्लाई ऐश लगायेगा**

सरकार बिहार में फ्लाई ऐश उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। सरकार फ्लाई ऐश मिलने में हो रही कठिनाइयों को लेकर केन्द्र से बात भी करेगी।

फ्लाई एश ईंट निर्माण को लेकर उक्त बातें डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहीं। वे फ्लाई ऐश ईंट निर्माताओं की वर्चुअल बैठक में बोल रहे थे। बैठक बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद के तत्वावधान में हुई।

श्री मोदी ने कहा कि सूबे में परम्परागत तौर पर संचालित 6,600 ईंट भट्ठों से हर साल दो करोड़ ईंट का निर्माण हो रहा है। इसके लिए मिट्टी मिलियन टन ऊपरी सतह, जो प्राकृतिक संपदा है, का उपयोग किया जा रहा है। इन ईंट भट्ठों से हर वर्ष 16 मिलियन टन कार्बनडायऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल के बाद 3,500 परम्परागत ईंट भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक में बदला जा चुका है। फ्लाई ऐश ईंट उद्योग को प्रोत्साहित करने का ही नतीजा है कि 2012 में राज्य में जहाँ मात्र एक फ्लाई ऐश उद्योग था, आज इसकी संख्या बढ़कर 210 हो गयी है। लाइ ईंट की तुलना में फ्लाई ईंट की कीमत भी कम है। इसकी गुणवत्ता प्रमाणिकता के लिए भी सरकार पहल करेगी। आज भवन निर्माण विभाग अपने भवनों के निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश ईंटों का प्रयोग कर रहा है। आनेवाले दिनों में शत-प्रतिशत फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करने का सरकार निर्णय लेगी।

बैठक में पर्षद ने पॉवर स्टेशन के 50 किलो मीटर का परिधि में परम्परागत लाल ईंटों के निर्माण पर रोक लगाने का सुझाव दिया। ईंट निर्माताओं ने फ्लाई ऐश परिवहन के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की स्टेट गवर्मेंट से मांग की।

**( साभार : आज, 9.9.2020 )**

## कोरोना काल में फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का बुरा हाल

**• कई जिलों में राइस मिलें बंद होने के कगार पर • बेकरी के व्यवसाय पर भी टूटा कंहर**

कोरोना संकट से जिलों के उद्योग-धंधे अब भी उबर नहीं पा रहे हैं। कोरोना व लॉकडाउन में रही-सही कसर मजदूरों की कमी ने भी पूरी कर दी है। बिस्कुट, राइस मिल, फ्लोर मिल, ब्रेड-बेकरी और लीची जूस के उद्योग काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। सासाराम जिले में करीब 400 छोटे-बड़े राइस मिल हैं पर मजदूरों की कमी से करीब 90% मिल बंद होने के कगार पर हैं। जिले में करीब 25 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है। लेकिन महज पाँच लाख मीट्रिक टन धान ही मिलों तक पहुँच पाता है। भोजपुर जिले में बेकरी का व्यवसाय बेहाल हो गया है। बेकरी उत्पादों की सबसे अधिक खपत चाय दुकानों पर होती है। दुकानों के बंद रहने से मांग नहीं हो सकी। इससे उत्पादन कम हुआ। नवादा जिले के उद्योग-धंधे अब भी ऊबर नहीं पा रहे हैं। मांग अब भी नदारद है। यहाँ के फूड प्रोसेसिंग उद्योग मांग और खपत के अभाव में दम तोड़ रहे हैं।

**बढ़ गयी बिस्कुट की बढ़त :** लॉकडाउन में रेस्टोरेंट सहित अन्य होटलों की बंदी और घरों में परिवारों के रहने से बिस्कुट की खपत पहले के मुकाबले में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई। मांग बढने के बाद आपूर्ति के लिए फैक्ट्रियों को मशक्कत करनी पड़ी। मजदूर की कमी से जूझते हुए फैक्ट्री को दो शिफ्ट में चलाना पड़ा।

**अनलॉक फोर में वैशाली में सभी उद्योग रफ्तार में :** वैशाली जिले में कुल 31 सौ छोटे बड़े उद्योगों के साथ-साथ लगभग ढाई से तीन सौ से अधिक फ्लावर मिल, मसाला, उद्योग, गेट ग्रिल निर्माण, सीमेंट से ईंट निर्माण सहित अन्य प्रकार के लघु उद्योग चल रहे हैं। कोरोना के कारण इन उद्योगों के उत्पादन पर कुछ दिनों तक थोड़ा प्रभाव पड़ा था। अब अनलॉक फोर में ये सभी उद्योग रफ्तार में है। जिला उद्योग महाप्रबंधक श्याम राम के अनुसार पूरे जिले में लगभग तीन हजार से अधिक छोटे-बड़े उद्योग चल रहे हैं।

**योजनाओं का लाभ नहीं :** सारण में कुटीर उद्योग के तौर पर फ्लोर मिल कई स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। संचालकों बताया कि सरकारी योजनाओं

का लाभ नहीं मिल पाता है। बक्सर में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद से राइस मिल व बेकरी, उद्योग को काफी राहत मिली।

**90% से अधिक मिलें बंद :** औरंगाबाद के राइस मिल संचालक परेशान हैं। वर्तमान में 90% से अधिक राइस मिल बंद पड़ी हैं। औरंगाबाद में लगभग दो सौ छोटे और सात बड़े राइस मिल का संचालन होता है।

**( साभार : हिन्दुस्तान 12.9.2020 )**

## बेकरी उद्योग में 50% से अधिक की आयी गिरावट

**परेशानी • राज्य भर की छोटी-बड़ी सभी बेकरी कंपनियाँ तंगहाली से गुजर रही • बेकरी उद्योग पूरी तरह से बेपटरी हो गया है।**

कोरोना का कहर फूड प्रोसेसिंग से जुड़े बेकरी सेक्टर पर भी पड़ा है। स्थिति यह है कि पटना समेत राज्य भर में बेकरी उद्योग में 50% से अधिक तक की गिरावट आई है। बिहार बेकरी एसोसिएशन के अध्यक्ष एन. के. अग्रवाल बताते हैं कि लॉकडाउन लागू होने से लेकर अब तक साढ़े 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान बेकरी उद्योग पूरी तरीके से बेपटरी हो गया है। उन्होंने बताया कि ब्रेड और बेकरी से जुड़े उत्पादों में 50% से अधिक तक की गिरावट आई है। यह हाल केवल पटना की बड़ी फैक्ट्रियों का ही नहीं है। राज्य भर की छोटी-बड़ी बेकरी कंपनियां इस समय तंगहाली से गुजर रही हैं। बेकरी उद्योग से जुड़े लोगों की माने तो आजकल बाजार में ग्राहक ही नहीं है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 12.9.2020 )**

## कॉर्न फ्रलेक्स उद्योग लगा दूर कर सकते बेरोजगारी

**स्वावलंबन :** • 12 से 15 रुपये प्रति किलो मिल जाता है मक्का, पाँच से 10 हजार रुपये में भी मशीन खरीद कर शुरू सकते हैं कार्य • 60 रुपये किलो कॉर्न फ्लेक्स बेचती हैं बड़ी कंपनियाँ, 2 से तीन सौ रुपये किलो बेच सकते हैं पैकिंग करके • बिहार में मक्के की प्रचुर मात्रा में होती है पैदावार

मक्के पर आधारित उद्योग लगाकर युवा बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। कम पूंजी में भी यह उद्यम शुरू हो सकता है। बिहार में मक्के की अच्छी पैदावार है। यह 12 से 15 रुपये किलो मिल जाता है। यहाँ से मक्का आंध्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश सहित दूसरे प्रदेशों में जाता है। मक्का को प्रोसेस कर कॉर्न फ्लेक्स सहित विभिन्न तरह के उत्पाद बना दूसरे प्रदेश अच्छी आमदनी कर रहे हैं, जबकि बिहार में उपलब्धि संतोषजनक नहीं है।

**यहाँ से लें मदद :** मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी मदद करता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एवं राज्य सरकार से 15 से 44 फीसद तक अनुदान मिल सकता है। उद्योग शुरू करने से पहले प्रशिक्षण के लिए कृषि क्लीनिक्स एवं कृषि व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्र सृष्टि फाउंडेशन, रेशमी कांप्लेक्स, किदवईपुरी, पटना, निफ्टेम यूनिवर्सिटी, हरियाणा, सीएफटीआरआइ, मैसूर, कर्नाटक से आदि संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं।

**( साभार : दैनिक जागरण, 8.9.2020 )**

## रामेश्वर जूट मिल 12 सितम्बर से चालू होगा

समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर का भोंपू तीन साल बाद फिर से बजेगा। इससे मिल के करीब 42 सौ कर्मियों में खुशी है। मिल 17 जुलाई 2017 से बंद थी। कर्मियों को उम्मीद है कि प्रबंधन इसे निरंतर संचालित करता रहेगा। स्थानीय विधायक सह सूबे के उद्योग, योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि मिल मालिक से मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता हुई। इसमें समझौता कराकर जूट मिल को खुलवाने का प्रयास किया।

**( साभार : दैनिक जागरण, 12.9.2020 )**

**नए बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतारने को हुई पहल**

## औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्टअप को भी अब मिलेगी जमीन

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में अब स्टार्टअप को भी जमीन मिलेगी। बियाडा बाकी उद्योगों की तरह ही स्टार्टअप को जमीन का आवंटन करेगा। राज्य सरकार ने विशेष भूमि आवंटन एवं माफी नीति के तहत इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके पीछे मकसद बिजनेस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा गत दिवस जारी की गई राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में इनोवेशन लीडर तैयार करने के मामले में बिहार देश में अव्वल रहा है।

शिक्षा, श्रम, कला, नए आइडिया सहित कोई भी क्षेत्र हो, बिहारी युवा अपनी सोच और क्षमता का लोहा मनवाते रहे हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति के तहत बिहार ने सबसे पहले नए स्टार्टअप को 10 लाख रुपए देने की व्यवस्था की, ताकि बिजनेस के क्षेत्र में नए विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य के तमाम युवाओं ने आगे बढ़कर इस अवसर का लाभ उठाया। मगर उनमें से किसी के सामने जमीन का संकट है, तो कोई वर्किंग कैपिटल को लेकर परेशान है। अब तक उन्हें सरकारी स्तर पर जमीन मिलने का कोई प्रावधान नहीं था।

**सहूलियत :** • बिजनेस क्षेत्र में नवाचार के मामले में देश में अव्वल रही है बिहार की रैंकिंग • सरकार ने विशेष भूमि आवंटन व माफी नीति के तहत प्रस्ताव को दी है मंजूरी

**25% जमीन आरक्षित :** नई नीति के तहत बियाडा के पास फिलहाल आवंटन के लिए उपलब्ध कुल जमीन में से 25 प्रतिशत को आरक्षित कर दिया गया है। यह जमीन सूक्ष्म, लघु उद्योगों और स्टार्टअप के लिए आरक्षित की गई है। इन भूखंडों का अधिकतम आकार आधा एकड़ तक होगा। बता दें कि अभी बियाडा के पास तकरीबन 3200 एकड़ जमीन आवंटन के लिए है।

**सीड ग्रांट पाने वाले ले सकेंगे जमीन :** बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे स्टार्टअप को जमीन मिलेगी, जिन्हें सरकार से स्टार्टअप नीति के तहत सीड ग्रांट यानी 10 लाख तक की राशि मिली है। नए स्टार्टअप को सीड फंड देने वाली राज्य निवेश परामर्शदातृ समिति अब तक 125 के लिए संस्तुति कर चुकी है। अभी इनमें से 71को मिलना बाकी है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जल्द इन मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

"स्टार्टअप को जमीन के लिए अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र में विकसित प्लाट उन्हें किफायती रेट पर उपलब्ध हो सकेंगे।"

**– आर. एस. श्रीवास्तव,** एमडी, बियाडा

**( साभार : हिन्दुस्तान, 13.9.2020 )**

## बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती मिलेगी

उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50 प्रतिशत तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी मिली। इस नीति के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट मिलेगी। सरकार ने उद्योग की जमीन की कमीत निर्धारण फार्मूले में बदलाव किया है। कोरोना काल में निवेश आकर्षित करने को सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसके साथ ही बियाडा के साथ चल रहे जमीन विवादों के निपटान को माफी नीति लाई गई है। उद्योग के लिए जमीन पर दी जाने वाली छूट पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र व नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन पर नहीं मिलेगी। इन क्षेत्रों में वैसे भी बियाडा के पास जमीन काफी कम है। उद्योग के लिए उपलब्ध जमीन में एक चौथाई से अधिक कोर्ट केसों में फंसी है। अब उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहे मामलों के निपटारे को माफी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केस लड़ रहे लोग एफीडेविड दे उसे वापस ले सकेंगे। बदले में वे जिस व्यक्ति को नामित करेंगे, बियाडा उन्हें उस जमीन को आवंटित कर देगा। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.9.20 )**

## उत्पादों के प्लास्टिक संग्रहित करने को विकसित हो प्रणाली

**राज्य पर्षद ने नियमों की अवहेलना करने वाली 225 इकाइयों 203 ब्रांड स्वामियों तथा 36 रिसाइक्लर्स को जारी किया है 'प्रस्तावित बंदी निदेश'**

उत्पादों से जुड़े प्लास्टिक को संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली विकसित होनी चाहिए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने साफ किया कि उपयोग में लाए गए उत्पादों के मल्टीलेयर पैकेजिंग, पाउच आदि के संग्रह की जिम्मेदारी ऐसे उत्पादों के आयातकों, उत्पादकों और ब्रांड स्वामियों की है, जो

बाजार में अपना उत्पाद पेश करते हैं। पर्षद ने कहा कि अब दो राज्यों तक कारोबार करने वाली इकाइयों को संबंधित राज्य प्रदूषण/ नियंत्रण पर्षद से निबंधन कराना होगा। इससे अधिक राज्यों में कारोबार की स्थिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निबंधित होना होगा। राज्य पर्षद ने नियमों की अवहेलना करने वाली 225 इकाइयों 203 ब्रांड स्वामियों तथा 36 रिसाइक्लर्स की 'प्रस्तावित बंदी निदेश' भी जारी किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 3732.882 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहित किया गया। इसमें से मल्टी लेयर प्लास्टिक को सीमेंट प्लांटों को उपयोग के लिए दिया गया, जबकि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को अलग निष्पादित किया गया। **( साभार : दैनिक जागरण, 10.9.2020 )**

**होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल एवं रेस्टोरेंट के संचालकों के लिए आवश्यक सूचना**

औद्योगिक क्षेत्रों का संशोधित वर्गीकरण जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अंगीकार किया गया है। के तहत सहमति प्राप्त करने हेतु होटल व्यवसाय का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:-

| क्रम | होटल | वर्गीकरण |
|---|---|---|
| 1. | 100 किलोलीटर प्रति दिन से अधिक अपशिष्ट जल का नि:स्सरण करने वाले **होटल** | **लाल** |
| 2. | 3 स्टार से कम अथवा 20 कमरों से अधिक परन्तु 100 कमरों से कम क्षमता के **होटल** जो 100 किलोलीटर प्रतिदिन से कम अपशिष्ट जल नि:स्सारित करते हैं | **नारंगी** |
| 3. | (क) **बिना बॉयलर वाले 20 कमरों तक के होटल, जिनके द्वारा 10 किलोलीटर प्रतिदिन से कम अपशिष्ट जल नि:स्सारित किया जाता है** तथा जिनके द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का जनन नहीं किया जाता हो<br>(ख) (I) 20 कमरों से कम क्षमता के **होटल :**<br>(ii) कम से कम 100 वर्गमीटर तक धरातल क्षेत्रफल के बैंक्वेट हॉल:<br>(iii) कम से कम 36 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट | **हरा** |

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा **वेस्टइण्ड ग्रीन फार्म सोसाईटी बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया ( मूल आवेदन संख्या-400/2017 ) में दिनांक- 23.7.2020** को पारित आदेश के अनुसार "होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल" के संचालन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि राज्य स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल तथा बैंक्वेट हॉल राज्य पर्षद् से संचालनार्थ सहमति प्राप्त कर ही संचालन करेंगे। इसका उल्लंघन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्राण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों को आकृष्ट करेगा।

सदस्य-सचिव।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई-मेल-bspcb@yahoo.com,वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in

**(Source : Times of India, 8.9.2020)**

## बिजली बिल का एसएमएस पहले और बाद में घर पहुँच रहे मीटर रीडर

पेसू क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को एक साथ दो से 3 माह का बिजली बिल मिल रहा है। इससे बिजली उपभोक्ता परेशान है। कंकड़बाग निवासी मनोज कुमार ने कहा कि पहले एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल मिला। इस बिल को जमा करने के बाद मीटर रीडर ने रीडिंग 74 दिन का बिल 21 हजार रुपए दिया है। पूछने पर मीटर रीडर ने कहा कि एसएमएस के माध्यम से पूरा बिल नहीं मिलता है। एवरेज बिल दिया जाता है। आपका सही बिजली बिल मीटर रीडिंग करने के बाद निकाला गया है। आपने एसएमएस के माध्यम से मिलने वाले बिल को जमा कर चुके हैं तो इसमें घटाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एवरेज का मतलब क्या है। एक साथ ही मीटर रीडिंग कर बिल मिलने पर पैसा इक्कठा कर बिजली बिल का रखा जाता। यह सिर्फ एक डिविजन क्षेत्र का मामला नहीं है। पेसू के सभी 13 डिविजन के उपभोक्ता एसएमएस से मिलने वाली बिजली बिल को जमा करने के बाद परेशानी झेल रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर बिजली इंजीनियरों ने कहा कि बिलिंग नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को एवरेज बिल दिया जाता है। लॉक डाउन के कारण सभी उपभोक्ताओं का बिलिंग नहीं हुआ है। अब धीरे-धीरे रेगुलराइज किया जा रहा है।

**किस्त में बिल जमा करने की सुविधा :** बिजली कंपनी मुख्यालय के पदाधिकारियों ने कहा कि एक साथ दो से तीन माह का मीटर रीडिंग कर बिजली बिल दिए जाने की स्थिति उपभोक्ताओं के बिल को किस्त में बांटने का निर्देश सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। ताकि, लॉक डाउन में होने वाली परेशानी का बोझ कम से कम पड़े। जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल की राशि अधिक है, ऐसे उपभोक्ता विद्युत कार्यपालक पदाधिकारी से बिजली बिल को किस्त कराकर जमा करेंगे। **( साभार : दैनिक भास्कर, 16.9.2020 )**

## भविष्य निधि का 2019-20 का ब्याज दो किस्तों में मिलेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कोरोना में बाजार की पतली हालत के चलते इस बार खाताधारकों को भविष्य निधि (ईपीएफ) पर पहले से घोषित 8.50% ब्याज का भुगतान दो किश्तों में करेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार छह करोड़ खाताधारकों को अभी 8.15% ही ब्याज दिया जाएगा, शेष 0.35% ब्याज दिसम्बर में मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि बाजार की हालत अच्छी नहीं होने की वजह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश किए गए कोष को बेचने का समय अभी अनुकूल नहीं है और उम्मीद है कि दिसम्बर में इसे अच्छे दामों पर बेचा जा सकेगा।

हालांकि बैठक में यह भी कहा गया कि दिसम्बर में सीबीटी की पुन: बैठक होगी जिसमें ईपीएफ के खाताधारकों को 0.35% की दर से ब्याज की बकाया राशि का भुगतान किए जाने पर गौर किया जाएगा। इस वजह से श्रमिक संगठन यह व्याख्या भी कर रहे है कि ईपीएफओ के खाता धारकों का ब्याज घट गया है। सीटू ने इस पर बयान भी जारी किया है। ब्याज का विषय एजेडे में नहीं था लेकिन न्यासियों ने खाता धारकों को ब्याज में हो रही देरी का विषय उठाया तो इस विषय को साफ किया है। मार्च में हुई सीबीटी की बैठक में 2019-20 के लिए 8.50% ब्याज देने का फैसला लिया गया था। **( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.9.20 )**

## नगर आयुक्त को राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश

मेयर सीता साहू ने नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने और होल्डिंग टैक्स से छूटे हुए घरों को आच्छादित करने के काम में भी तेजी लाने को कहा। मेयर ने छूटे हुए संपत्तियों का असेसमेंट कराने का निर्देश देते हुए इसके लिए टीम गठित करने का सुझाव भी निगम पदाधिकारियों को दिया। होल्डिंग टैक्स के अलावा राजस्व के अन्य स्त्रोतों की भी समीक्षा की गई। इसमें मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर और स्टॉम्प ड्यूटी शामिल हैं। समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त के अलावा उपनगर आयुक्त (राजस्व) भी मौजूद थे।

**प्राप्त हुआ 28 करोड़ राजस्व :** मेयर को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक कुल 27 करोड़ 89 लाख रुपये की वसूली संपत्ति कर के रूप में हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पटना नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में कुल 60 करोड़ 8 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। मेयर को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंगों की संख्या 2 लाख 42 हजार 688 है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 8.9.2020 )**

## पटना रिंग रोड का कन्हौली-रामनगर हिस्सा बनाने के लिए एजेंसी तय

**797 करोड़ होंगे खर्च • सदीसोपुर, नौबतपुर, डुमरी होते लखना के पास तक बनेगा सिक्स लेन हाईवे, 24 माह में पूरा होगा निर्माण कार्य**

पटना रिंग रोड के कन्हौली-रामनगर हाईवे का काम जेएसपी एजेंसी को मिला है। 7 पैकेज में बंटी इस परियोजना के पहले पैकेज के तौर पर कन्हौली-रामनगर हिस्से (39 किलोमीटर) का अब निर्माण शुरू हो जाएगा। शीघ्र ही प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। एनएचएआई ने सिक्स लेन वाली इस सड़क की अनुमानित लागत 823 करोड़ तय की थी, लेकिन जेएसपी ने 797 करोड़ में ही बना देने का निर्णय किया है। 24 माह में इसका निर्माण पूरा होगा। बिहटा के पास स्थित कन्हौली से प्रारंभ होकर सदीसोपुर, नौबतपुर, डुमरी होते पटना-मसौढ़ी पथ पर लखना के पास रामनगर (एसएच-78) तक यह सड़क बनेगी। वैसे पटना नगर को महानगर बनाने वाली अबतक की सबसे बड़ी इस सड़क-सेतु रिंग रोड परियोजना पर कुल 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं।

**तीन जिलों को होगा फायदा :** राज्य सरकार ने पिछले ही महीने इसके एलाइनमेंट की स्वीकृति दी है। पटना, सारण और वैशाली जिले की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली 138 किलोमीटर लंबी इस सड़क-सेतु परियोजना में 70 किलोमीटर लंबाई में जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ दूर कर ली गई हैं। बचे 57 किलोमीटर परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जिसपर करीब 2500 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसका वहन राज्य सरकार कर रही है। 138 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 3500 करोड़ में 4/6 लेन की सड़क बनेगी जिसका वहन केन्द्र सरकार कर रही है।

**परियोजना में दो महासेतु :** दो महासेतु (कुल लंबाई-30 किलोमीटर) भी इस परियोजना के हिस्से हैं। इसमें कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन ब्रिज की लंबाई-19 किलोमीटर और शेरपुर-दिघवारा 6 लेन ब्रिज की लंबाई - 11 किलोमीटर है। इसमें कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन ब्रिज का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। वहीं शेरपुर-दिघवारा सिक्स लेन ब्रिज का खर्च केन्द्र वहन करेगा।

**(साभार : दैनिक भास्कर, 11.9.2020)**

## माल भाड़े में रियायतों से उद्योग जगत को फायदा

रेलवे बोर्ड द्वारा माल ढुलाई में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में विगत दिनों कई नीतिगत बदलाव करते हुए इन्हें ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। इसी कड़ी में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये किए जा रहे प्रयासों के तहत उद्योग जगत एवं व्यापारियों को रेल द्वारा माल परिवहन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु अनेक रियायतों की घोषणा की गई है। ये घोषणायें विगत कुछ महीनों में माल परिवहन के क्षेत्र में दी गयी रियायतों के क्रम में माल भाड़े में की गई है। नवीन रियायतों में हौलेज चार्ज, स्टेब्लिंग चार्ज तथा फ्लाई एश का लदान आदि शामिल है। बिजनेश डेवलपमेंट यूनिट की सक्रियता से पूर्व मध्य रेल में व्यापारी वर्ग द्वारा नए माल भाड़ा प्रोत्साहन योजना का भरपूर लाभ ले रहे है। पिछले दिनों रिहंद पावर हाउस (एनटीपीसी) से 02 रेक राख एसीसी और जेक्यूएसजी सीमेट कंपनी के लिए लोड किए गए। यहाँ से प्रतिमाह लगभग 15 रेक राख की लोडिंग की जाएगी। इसी तरह सितम्बर के अंत तक धनबाद मंडल में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन से भी राख की लोडिंग प्रारंभ हो जाएगी।

**(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 9.9.2020)**

## एयरपोर्ट पर फ्री में सामान का वजन ले सकेंगे यात्री

हवाई यात्रियों को अब पटना और बोध गया के एयरपोर्ट पर सामान की तौल के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा, दोनों ही एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीनें लगा दी गयी हैं। माप-तौल संभाग मुख्यालय स्तर पर पटना में निर्मित माप एवं तौल भवन तथा नवादा में जिलास्तरीय कार्यकारी मानक प्रयोगशाला सह कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया गया।

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यात्री इन मशीनों से विमान उड़ान के पूर्व अपने सामान के वजन की जानकारी नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। सामान के वास्तविक वजन के बारे में पहले से जानकारी होने से यात्रियों को बोडिंग के समय सहूलियत होगी। इधर, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने उद्यान निदेशालय के 723.10 लाख रुपये की 28 योजनाओं का उद्घाटन किया।

**(साभार : प्रभात खबर, 8.9.2020)**

## अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट

दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा समेत आसपास के जिलों के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इस एयरपोर्ट से दिल्ली, मुम्बई व बेंगलरू के लिए विमानों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिनांक 12.9.2020 को दरभंगा एंयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण का जायजा लिया।

**दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो जाने से यह होगा फायदा :** 1. दरभंगा व इससे सटे जिले के लाखों लोग दिल्ली, मुम्बई व बेंगलुरू से सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्हें पटना आने की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों का कम से कम तीन घंटा वक्त बचेगा। 2. विमान से पटना आने के बाद दरभंगा या आसपास जिलों के जाने के लिए जो दो से तीन हजार कार में खर्च होता है वह बच जाएगा। परेशानी से भी यात्री बच जाएंगे। 3. मखाना समेत अन्य स्थानीय उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। 4. स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 5. आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी।

**(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.9.2020)**

## बाजार में बिना फार्मासिस्ट के चल रहे ऑनलाइन दवा कारोबार का चौतरफा विरोध

**• पीसीआई और फार्मा एसोसिएशन ने ई फार्मेसी पर जताया विरोध • ई फार्मेसी में बिना फार्मासिस्ट के ही दवा की हो रही डिलीवरी**

आम उपभोक्ता सामानों की तरह ही फार्मा सेक्टर में भी दवा कंपनियों का बाजार पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर देशभर में फार्मासिस्टों का विरोध शुरू हो गया है। ई फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवा मंगाने की प्रक्रिया में फार्मासिस्ट के लिए कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसे लेकर आने वाले समय में फार्मासिस्टों का कामकाज ठप हो जाएगा। वहीं फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने इसे दवा वितरण के तौर-तरीके में गलत दखल की बात कही है। फार्मा एसोसिएशन का कहना है कि दवा आम वस्तुओं की तरह नहीं है जिसे सीधे वेयरहाउस से डिलीवरी ब्वॉय के मार्फत कस्टमर तक पहुँचाया जाए।

**एसोसिएशन का विरोध :** बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पी. के सिंह ने बताया कि ई फार्मा कंपनियों को उन्होंने पत्र लिखकर बिना फार्मासिस्ट के ही धड़ल्ले से ऐसे कारोबार पर विरोध दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में फार्मासिस्टों ने लोगों की दवा जरुरतें पूरी करने में असाधारण योगदान किया है। आम दिनों में और इमरजेंसी की हालत में भी शहर में मौजूद रिटेल दवा की दुकानों ने लोगों की मदद की है। ऐसी स्थिति में ई फार्मेसी काम नही आ सकता है।

**एक्ट की भी अनदेखी :** दवा कारोबार से जुड़े रिटेल दवा व्यवसायियों का कहना है कि ई फार्मेसी में जो वर्तमान वर्किंग मॉडल है उसमें कास्मेटिक एंड ड्रग एक्ट, 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 और नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रापिक सब्संटांसेज एक्ट 1987 का उल्लंघन हो रहा है, ई फार्मेसी का वेयरहाउस से लेकर डिलीवरी सिस्टम तक का पूरा वर्किंग मॉडल ही इससे कोई वास्ता नहीं रखता है। फार्मासिस्ट के बिना ई फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवा मंगाने से होने वाले खतरे के प्रति सरकार को भी आगाह कराया गया है।

**डिलीवरी प्वाइंट में फार्मासिस्ट हो :** दवा की रेग्युलेटरी बॉडी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्जीक्यूटिव मेंबर कुमार अजय ने बताया कि

काउंसिल ने इस मामले पर बताया कि दवा के इंड यूजर तक पहुँचने में जो चेन है उसमें डिलीवरी प्वाइंटर पर फार्मासिस्ट की तैनाती होनी चाहिए। ई फार्मा की कंपनियों के द्वारा दवा के हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मासिस्ट को शामिल किया जाना चाहिए। इससे सही दवा का इंड यूजर तक पहुँचना सुनिश्चित होगा, उन्होंने आगाह किया कि ई फार्मेसी में डॉक्टर के पर्ची के मुताबिक दवा सप्लाई हो जाएगी, लेकिन यह भी चेक करना होगा कि जो दवा दी जा रही है वह प्रीसक्रिप्शन सही है या नहीं। यह स्थानीय फार्मासिस्ट क्रॉसचेक कर सकता है। आगे उन्होंने बताया कि ई फार्मासिस्ट की भागीदारी से ही ई फार्मेसी को चलाया जा सकता है।

"यह विडंबना है कि एक ओर सरकार लोकल वोकल की बात कहती है और दूसरी ओर दवा बाजार पर ई फार्मेसी के जरिये एकाधिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार को भी सजग रहना होगा और इसके लिए सही नीति होनी चाहिए।" **– पी. के. सिंह,** वाइस प्रेसिडेंट
ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

**( साभार : दैनिक जागरण आइनेक्स्ट, 7.9.2020 )**

## चार माह में चार हजार रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया सरिया

**कैसे बनेगा घर :** सूबे में पिछले चार माह में सरिया के दाम में चार हजार रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा होने से भवन निर्माण की लागत बढ़ गयी। इसका सीधा असर सरिया के उत्पादन और बिक्री पर पड़ा है। लेकिन कारोबारियों का कहना है कि अगले एक-दो माह में सरिया की कीमत में काफी गिरावट आयेगी। इसके कारण सरिया की कीमत 38 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच जायेगी। पटना के आसपास 20 से अधिक मध्यम और बड़े आकार की स्टील की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ प्रतिदिन लगभग दस हजार टन सरिया का उत्पादन होता है। इनमें से 75% से अधिक सूबे में और 25% सप्लाइ उत्तर प्रदेश में होती है। उत्पादकों की मानें, तो निर्माण कार्य कम होने से उद्योग को लगभग हर माह करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। सरिया की मांग रुक गयी है। इस नुकसान की भरपाई में अभी चार से छह माह लग सकते हैं। कारोबारियों की मानें, तो सरिया उद्योग में उत्पादन शुरू तो हुआ, लेकिन उत्पादन लागत अधिक होने से कीमत बढ़ानी पड़ी। इससे सरिया की कीमत 42 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गयी है।

**चीन से आयात बंद होने से बढ़ी कीमत :** दीना आयरन एंड स्टील लिमिटेड के निदेशक संजय भरतिया ने बताया कि आयरन ओर यानी कच्चा माल चाइना से आता है। लेकिन आयात बंद होने से आयरन ओर नहीं आ पा रहा है। इससे कच्चे माल की कीमत में काफी इजाफा हुआ है और सरिया 38 हजार रुपये से बढ़ कर 42 हजार रुपये प्रति क्विंटल हो गयी है। उम्मीद है कि अगले माह से दाम में कमी होना शुरू हो जायेगा, क्योंकि कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा।

**( साभार : प्रभात खबर, 12.9.2020 )**

## वाहन कबाड़ नीति अगले माह से लागू

• **30** फीसदी तक सस्ते मिलेंगे उपभोक्ता को नए वाहन • **25** फीसदी की कमी आएगी वायु प्रदूषण में • **03** गुना महंगा हो जाएगा पुराने वाहन का पंजीकरण • **2.80** करोड़ वाहन आएंगे नई नीति के दायरे में

सरकार पुराने दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर सकती है। बहूप्रतिक्षित स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। नए वाहनों की मांग बढ़ने से वाहन उद्योग रफ्तार पकड़ेगा। उपभोक्ता को नए वाहन 30 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 साल पुराने वाहन को ठिकाने लगाने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में हैं।

**पंजीकरण मुफ्त होगा :** पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर को बचने का प्रमाण पत्र पेश करने पर नए वाहन की खरीद पर उसे पंजीकण शुल्क माफ होगा। कई तरह की अन्य राहत भी मिलेगी।

**पुराने वाहन का क्या होगा :** इस नीति में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे वाहनों को चलाने के लिए प्रति वर्ष फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क दो से तीन गुना कर दिया गया है। इससे उपभोक्त पुराने वाहनों बेचकर नए खरीदने के लिए आकर्षित होंगे।

### ऐसे लगेगा शुल्क

1. स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद नई मोटर साइकिल का पंजीकरण कराने पर एक हजार रुपये शुल्क लगेगा। लेकिन यदि पुरानी का नवीनीकरण कराते हैं तो शुल्क दो हजार रुपये होगा।
2. नए थ्री व्हीलर-ऑटो का पंजीकरण पाँच हजार में होगा वहीं पुराने वाहन का शुल्क 10,000 रुपये होगा।
3. नए एलएमवी (लग्जरी टैक्सी) का पंजीकरण शुल्क पाँच हजार रुपये होगा जबकि पुराने का नवीनीकरण का शुल्क 15000 रुपये कर दिया गया है।
4. ट्रक, बस आदि भारी वाहनों के नवीनीकरण को 20 हजार से बढ़ाकर 40, 000 हजार रुपये कर दिया है। इतना ही नहीं नवीनीकरण में देरी होने पर 500 रुपये प्रति माह जुर्माना लिया जाएगा।
5. मोटर साइकिल पर यह दर 300 रुपये प्रति माह होगी। नई कार का पंजीकरण शुल्क 10,000 रुपये जबकि नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये कर दिया गया है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 8.9.2020 )**

## बिहार में हर वेंडर का होगा यूनिक आईडी नंबर

**सभी को मिलेगा क्यूआर कोड वाला स्मार्ट कार्ड, इसी कोड से मिलेगा योजना का लाभ**

राज्य के सभी शहरों में हर वेंडर यानि रेहड़ी-फेरीवालों का अपना यूनिक आईडी नंबर होगा। उन्हें जल्द एक स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा। इस कार्ड की विशेषता यह होगी कि इसपर एक क्यूआर कोड अंकित होगा। यही कोड उनकी पहचान होगी। उसे केन्द्र की पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण सहित अन्य लाभ मिलेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर एजेंसी का भी चयन किया गया है। यही एजेंसी सभी शहरी निकायों से प्राप्त होने वाले वेंडरों के डाटा के आधार पर क्यूआर कोड जेनरेट करेगी।

केन्द्र ने कोरोना काल में सभी शहरी निकायों के रेहड़ी-फेरीवालों को राहत देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत वेंडरों को आपदा के वक्त राहत देने को 10 हजार का बिना बैंक गारंटी ऋण दिया जाना है। यूं तो यह योजना देश के सभी शहरी निकायों के लिए है मगर उच्च प्राथमिकता में चुने गए देश के सौ शहरों में बिहार के भी आठ शहर शामिल हैं। राज्य के शहरी निकायों में फिर से सर्वे कराया गया है। इस सर्वे को वेंडिंग के फोटो सहित किया गया है।

हाल में नगर विकास एवं आवास सचिव आनंद किशोर ने एक सप्ताह में राज्य के सात नगर निगमों के अधिकाधिक वेंडरों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए थे। इनमें पटना, गया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा शामिल हैं।

**पीएम स्वनिधि योजना :** • वेंडरों के क्यूआर कोड जेनरेट करने को एजेंसी का हुआ चयन • रेहड़ी-फेरीवालों को राहत देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू • **10** हजार का बिना बैंक गारंटी ऋण दिया जाना है

**नगर निगमों में चिह्नित वेंडर :** • पटना नगर निगम -12541 • भागल -पुर नगर निगम-1868 • बिहारशरीफ नगर निगम - 1954 • दरभंगा नगर निगम - 740 • गया नगर निगम - 1098 • मुजफ्फरपुर नगर निगम - 1856

**अधूरे डाटा की वजह से फिर कराया सर्वे :** पहले शहरी निकायों के पास वेंडरों का आधा-अधूरा डाटा था। बहुतों के आधार कार्ड भी नहीं थे। पूरे

राज्य में किसी भी रेहडी-फेरीवाले को वेंडिंग प्रमाणपत्र भी अब तक नहीं दिया गया था। अब नए सिरे से सर्वे में पुरानी खामियां सुधारी जा रही है। हर वेंडर का अपना यूनिक आईडी नंबर होगा ताकि कोई घालमेल न हो सके। क्यूआर कोड की मदद से उसे योजना का लाभ दिलाया जाएगा। उसे स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा और प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। **( साभार : हिन्दुस्तान, 8.9.2020 )**

## बिहार में 7 सितम्बर 2020 से अनलॉक-4 लागू

राज्य में अनलॉक - 3 की समय सीमा रविवार 6.9.2020 को समाप्त हो गई। सोमवार 7.9.2020 से प्रदेश में केन्द्र द्वारा जारी अनलॉक-4 प्रभावी हो जाएगा। पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी। लेकिन, अनलॉक-4 को लेकर केन्द्र द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केन्द्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती। लिहाजा बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए अब केन्द्र से इजाजत लेनी होगी। गृह विभाग सोमवार 7.9.2020 को विधिवत आदेश जारी करेगा।

### अनलॉक - 4 की गाइडलाइन

**7 सितम्बर :** एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने- जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

**21 सितम्बर :** • राज्य अपने यहाँ स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर -शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी • अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे • आइटीआइ एवं अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे • सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा • 20 सितम्बर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। **( साभार : दैनिक जागरण, 7.9.2020 )**

## होल्डिंग टैक्स के साथ वसूल होगा कचरा संग्रहण शुल्क

निगम प्रशासन की ओर से होल्डिंग टैक्स के साथ ही कचरा संग्रहण शुल्क लिया जायेगा। कचरा संग्रहण शुल्क अलग से लेने में निगम को परेशानी हो रही है। इसलिए टैक्स के साथ कचरा संग्रहण शुल्क लेने में सुविधा होगी। इसके लिए निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित करने की संभावना है। इसमें 35 एजेंडे पर निर्णय लिये जायेंगे। **( साभार : प्रभात खबर, 22.9.2020 )**

## कम समय में बनेगा पासपोर्ट, पुलिस अब एम-पासपोर्ट एप के जरिए करेगी वेरिफिकेशन

**• अभी पासपोर्ट में औसतन 20 दिन लगते हैं, 1 नवम्बर से लागू होगी नई व्यवस्था • 1308 टैब खरीदे गए, सभी थानों को दिए जाएंगे**

पासपोर्ट से जुड़े वेरिफिकेशन के लिए बिहार पुलिस अब एम-पासपोर्ट एप का इस्तेमाल करेगी। इससे वेरिफिकेशन में लगने वाला समय घटेगा और आवेदकों को भी सहूलियत होगी। सभी थानों को एक-एक टैब दिया जाएगा। पूरे बिहार के लिए 1308 टैब खरीदे गए हैं। इनके इस्तेमाल के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एस. के. सिंघल ने एप का शुभारंभ किया। 1 नवम्बर से इस एप से थानों के सत्यापन अधिकारी डिजिटल तरीके से आवेदकों के फोटो और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेज सकते हैं। एम-पासपोर्ट एप से किसी व्यक्ति के विवरण फॉर्म को डाउनलोड करने तथा उसकी प्रश्नावली को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से निष्पादित की जा सकेगी।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी जिलों में डिजिटल एकीकृत डीपीएचक्यू मॉडल द्वारा पुलिस सत्यापन प्रक्रिया की शुरूआत से औसत समय में कमी आई है। 2015 के अंत तक पुलिस सत्यापन में 69 दिन लगते थे। इसे साल दर साल घटाते हुए 2016 में 45 दिन, 2017 में 33 दिन, 2018 में 24 दिन तथा 2019 में 20 दिन पर लाया गया है। एम-पासपोर्ट एप के लागू होने पर पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो पाएगी।

**डीजीपी सिंघल बोले-आम लोगों को सहूलियत होगी :** डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस के तकनीक के साथ बढ़ने की दिशा में यह अहम कदम है, जिसे स्पेशल ब्रांच ने शुरू किया है। इससे आम लोगों को सहूलियत होगी। स्पेशल ब्रांच के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार ने कहा कि इस एप से जुड़े प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया गया है। हर जिले से एक डीएसपी, 1 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को प्रशिक्षित किया जाएगा। **( साभार : दैनिक भास्कर, 24.9.2020 )**

## सूबे में जमीन के म्यूटेशन में लगेगा दोगुना समय

**सरकार ने बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली में फिर किया बदलाव**

राज्य में अब दाखिल खारिज (म्यूटेशन) करने में दोगुना वक्त लगेगा। अगर आवेदन सही है और कोई आपत्ति नहीं है तो पहले इस काम के लिए 18 दिन समय तय था, नई व्यवस्था लागू होते ही यह समय बढ़कर 35 दिन हो जाएगा। नई व्यवस्था में आवेदन के बाद जांच से लेकर सभी स्तर तक के कर्मियों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। लिहाजा, हर हाल में उन्हें इस अवधि में संचिका का निष्पादन करना होगा। इसी के साथ आवेदक के लिए तय अपील की समय सीमा भी 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन कर दी गई है।

**दूसरी बार हुआ बदलाव :** राज्य सरकार ने बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। इसके पहले 2012 में बने इस नियमावली में 2017 में संशोधन किया गया था। नई व्यवस्था में कागजातों की जांच केन्द्रीयकृत की जायेगी। कागजात सही पाये जाने पर उसे संबंधित सीओ के भेजने के बाद अभिलेख खोला जायेगा।

**एसएमएस से मिलेगा टोकन नंबर :** ऑनलाइन माध्यम से दाखिल-खारिज के लिये आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को एसएमएस के माध्याम से टोकन नंबर दिया जायेगा। अंचल स्तर पर केन्द्रीकृत प्रणाली के तहत गठित टीम तीन दिनों के अंदर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगी। कागजात पूरे होने पर अनुशंसा की रिपोर्ट लगाते हुये सीओ को भेज दिया जायेगा।

**राजस्व कर्मी को सात दिन में देनी होगी रिपोर्ट :** ऑनलाइन दाखिल -खारिज का वाद अभिलेख (संख्या एवं वर्ष सहित) तीन दिन में खोला जायेगा। इसकी सूचना भी एसएमएस के जरिये आवेदक को दी जायेगी। इससे आवेदनकर्ता ऑनलाइन पोर्टल पर वाद संख्या के अनुसार खुद देख सकता है। इसके बाद अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी को मामले की जांच के आदेश देगा। राजस्व कर्मचारी को सात दिन में अपनी रिपोर्ट अंचल निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। अंचल निरीक्षक तीन दिन में सीओ को अपनी रिपोर्ट देगा।

**बढ़ गयी थी म्यूटेशन के लंबित मामलों की संख्या :** म्यूटेशन के मामलों को समय से निष्पादन के लिये डीसीएलआर और सीओ के काम का भी मूल्यांकन शुरू हुआ तो पता चला कि लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ गई है। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण समय कम मिलने पर अधिकारी आवेदन को खारिज कर देते थे। इससे अपील और लंबित मामलों की संख्या बढ़ने लगी थी। **( साभार : हिन्दुस्तान, 24.9.2020 )**

## मकानों पर लगेगा क्यूआर टैग, कचरा गाड़ी का मिलेगा लोकेशन, कूड़ा उठाव होते ही मोबाइल पर आएगा मैसेज

**इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट • नगर निगम से करार के बाद कूड़ा प्वाइंट और घरों के सर्वे में जुटी एजेंसी**

राजधानी के लोगों को अब मोबाइल पर कचरा गाड़ी का लोकेशन मिलेगा। घरों और दुकानों पर विशेष क्यूआर टैग लगाया जाएगा, जिससे कचरा उठाव पर नगर निगम मुख्यालय में बनने वाले विशेष कंट्रोल रूम से नजर रखी

जाएगी। इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने टेकइंफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से करार किया है। इस परियोजना पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिसम्बर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

परियोजना के तहत एक मोबाइल एप बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग कचरा गाड़ियों के लोकेशन, शुल्क भुगतान, वार्ड के सफाई निरीक्षक और ड्राइवर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके माध्यम से वे अपनी शिकायत व फीडबैक भी दे सकेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मैनेजर राजीव कुमार और एजेंसी के विशेषज्ञों ने शहर के कूड़ा प्वाइंट और घरों का सर्वे शुरू किया।

**( विस्तृत : दैनिक जागरण, 24.9.2020 )**

## कब, कहाँ व कैसे सड़क दुर्घटना हुई बताएगा बिहार परिवहन एप

**सही आकलन में मिलेगी मदद :** दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए, किसकी गलती थी इसकी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न परिवहन सेवाओं की जानकारी के साथ आसानी से सड़क दुर्घटनाओं का डाटा मिलेगा।

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सड़क दुर्घटना के आंकड़ों को कम्प्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार परिवहन मोबाइल एप तैयार किया गया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी तरह के शुल्क, यातायात नियमों के उल्लंघन शुल्क, परमिट फी, निकट के प्रदूषण जांच केन्द्र, टैक्स पेमेंट आदि की जानकारी मिलेगी। परिवहन मोबाइल एप पर हर छोटे-बड़े सभी हादसों का विवरण दर्ज किया जाएगा। पुलिस एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऑन स्पॉट दुर्घटना से जुड़े सभी बिंदुओं का ब्यौरा भरा जाएगा। इस जानकारी के आधार पर सड़क दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और सड़क खराब होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा उसका समाधान कराया जाएगा। इससे दुर्घटना के कारणों का सही आंकलन किया जा सकेगा एवं सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद मिलेगी।

**हादसों के आंकड़ों के संग्रहण से मिल सकेगी सटीक जानकारी :** वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से दुर्घटना के आंकड़ों के संग्रहण से सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। एप में दुर्घटना का दिन, तारीख, समय, मौत हुई या घायल है, हादसे से नुकसान, क्षतिग्रस्त वाहनों की संख्या, दुर्घटना का कारण, दोनों वाहन व उनके चालक की पूरी जानकारी, घटनास्थल का लैंडमार्क, वाहन की स्थिति, ओवर स्पीड-ओवर, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, सड़क की स्थिति (खराब व इंजीनियरिंग के विषय में) की पूर्ण जानकारी के साथ एफआईआर नंबर, जांच, अधिकारी का नाम देना होगा।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 25.9.2020 )**

## स्टार्टअप को फंड जुटाने में मदद के लिए हो रही तैयारी

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग देश में स्टार्टअप के समर्थन के लिए दो योजनाओं पर काम कर रहा है। ये योजनाएँ ऋण गारंटी और शुरूआती पूंजी से जुड़ी हैं। डीपीआइआइटी के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने यह जानकारी दी।

महापात्र ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के तौर-तरीके तय करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। महापात्र ने कहा कि ऋण गारंटी योजना के लिए एक फंड है जिसे बैंकों को दिया जायेगा। बैंक इसका इस्तेमाल स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए कर सकते हैं।

महापात्र ने कहा कि इससे बैंकों को ऋण देने में सुविधा होगी। यह ऋण के लिए होगा। उद्यम पूंजी के लिए नहीं। शुरूआती पूंजी की योजना पर महापात्र ने कहा कि ज्यादातर स्टार्टअप को विचार के स्तर पर धन जुटाने में परेशानी आती है। सचिव ने कहा, गुजरात और केरल जैसे कुछ राज्यों में शुरूआती पूंजी की योजना है, लेकिन यह काफी छोटी है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों की भी योजना है। लेकिन हम अखिल भारतीय स्तर की योजना चाहते हैं।

**( साभार : प्रभात खबर, 14.9.2020 )**

**बिहार गजट**

**असाधारण अंक**

**बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित**

**13 भाद्र 1942 ( श. )**

**( सं. पटना 533 ) पटना, शुक्रवार, 4 सितम्बर 2020**

**वाणिज्य-कर विभाग**

अधिसूचना (4 सितम्बर 2020)

एस. ओ. 161 दिनांक 4 सितम्बर 2020- बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21,2019) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल 01 सितम्बर, 2020 को उस तारीख के रुप में नियत करते हैं, जिसको बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019) की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(सं. सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-9) 1582)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**18 भाद्र 1942 ( श. )**

**( सं. पटना 544 ) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2020**

**अधिसूचना ( 9 सितम्बर 2020 )**

एस. ओ. 162 दिनांक 9 सितम्बर 2020 – बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 129, दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"परंतु जहाँ, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवम्बर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहाँ ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा नवम्बर, 2020 के 30 वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी।"।

(सं. सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-8) 1625)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**18 भाद्र 1942 ( श. )**

**( सं. पटना 545 ) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2020**

**अधिसूचना ( 9 सितम्बर 2020 )**

एस. ओ. 163 दिनांक 9 सितम्बर 2020 – बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य- कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 212 दिनांक 08 मई, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 598, दिनांक 08 मई, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्निलिखत और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, "अगस्त 2020 के 31वें दिन" अंकों और शब्दों के स्थान पर "अक्टूबर 2020 के 31 वें दिन" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(सं. सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-10) 1626)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

Government of Bihar
**Department of Industries**
**Notification**

**Subject :- Special Land Allotment and Amnesty Policy, 2020**

The Corona pandemic has created unprecedented situation before the world. Bihar is not untouched by it. Millions of workers have returned to Bihar from various comers of the country. Creating jobs for them is today's foremost requirement before the government. As the overwhelming majority of these workers are industrial workers, employment for them needs to be created in the industrial sector. In order to boost investment and job creation, the government has already amended Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. Availability of land at attractive prices and easier terms is another requirement for which industry associations have been demanding for quite some time. Hence, in exercise of powers conferred uls 14(e) of Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) Act, 1974, (amended from time to time), the Government of Bihar is pleased to notify the following directions regarding the policy and procedure for allotment of land by BIADA, in the Industrial areas under its control; keeping in view the increasing demand for industrial plots in relation to availability of land.

**1. Category of industrial plots**

1.1 The total plots available with BIADA in new industrial areas shall be divided in various categories, as under :-
- a. Size upto 0.25 Acres
- b. Size larger than 0.25 acres upto 0.50 acres
- c. Size larger than 0.50 acres upto 1.00 acre
- d. Size largerthan 1.00 acres upto 2.00 acres
- e. Size larger than 2.00 acres upto 5.00 acres
- f. Size larger than 5.00 acres

1.2 Division of plots

The plots categorized in para 1.1 above should be divided so that at least,
- (a) 25% of the allottable land will be divided in plots measuring an area of 0.5 acre or less than that, and
- (b) Balance 75% of the available allottable land may be divided in different sizes of plots as per demand and requirement of the entrepreneurs as may be decided by the Board of Directors from time to time.

1.3 Applications should be invited for particular plot size categories. The Board of BIADA may decide not to make allotment of the entire available land / plot in an industrial area at one time and the allotment for various categories and plots in an industrial area may be done in different stages / period.

**2. Demarcation Purposes for allotment**

2.1 BIADA shall place a list of plots available for allotment to a prospective applicant, on its website (www.biadabihar.in). The number of available plots with area of the plot shall be available on the website and the same would be updated on the last working day of every month.

2.2 BIADA shall reserve 10% of the total area of plots in the Industrial Area developed/acquired on or after 1st January 2020 and lands acquired from the Sugar Cane mills for the following category of entrepreneurs: (I) SC/ST Entrepreneurs, (ii) Extremely Backward Caste Entrepreneurs, (iii) Women Entrepreneurs. The size of these plots shall not be bigger than 0.25 acres. The reserved plots shall be further reserved in the ratio of 60% for SC/ST, 30% for EBC and 10% for Women and Differently abled.

2.3 Lands under category 1.2(a)shall be reserved for Micro and Small enterprises and startups.

**3. Purposes for allotment**

3.1 The land under this policy will be allotted to the following sectors / units.-

(i) Manufacturing Industries which have significant job creation potential as mentioned in the list of Priority Sectors and High Priority Sectors under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

(ii) Sectors in which the skilled workers working in manufac-turing units in other states who returned to the State during COVID -19 were employed.

3.2 Some of the sectors/units which are eligible for allotment under this policy, based on the skill survey of the workers returning to the State, are as follows»
- (i) Garment and Textile
- (ii) Sports Goods
- (iii) Leather Goods
- (iv) Food Processing
- (v) Furniture Manufacturing
- (vi) Metal Fabrication
- (vii) Gems &Jewellery
- (viii) Electrical and Electronic Hardware manufacturing

The Board of Directors of the Authority will have the right to revise the list based on the skill survey undertaken by the State Government Agencies from time to time during the policy period.

3.3 The State Government shall have the right to declare any particular industrial area or a part of it to be reserved for a specific activity, and in that case, that area or part of that, would be allotted only for that specific activity, unless changed or de-reserved by the government.

3.4 In case a category of industry to be established is in wider interest of the state, the government may issue directions for allotment of specified area of land in a specific industrial area for such category of industries, and that shall be binding on the Authority.

This direction shall however not be in contravention of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

**4. Competent Authority for allotment**

4.1 "The Bihar Industrial Area Development Authority (Financial, Service and Technical) Regulations, 2007" provides, inter alia, vide the Regulation 1.4.1, a Project Clearance Committee (PCC) comprising of:-
- (i) Managing Director, BIADA,
- (ii) All Executive Directors,
- (iii) Director of Industries or his representative,
- (iv) Joint Secretary, Finance Department, Government of Bihar,
- (v) Chairman, Bihar State Pollution Control Board or his representative,
- (vi) Consultants of the BIADA - to be nominated by the Managing Director,
- (vii) Two Representatives ofIndustries Associations in Bihar.

4.2 All allotment of land has to take place through the PCC. The competent sanctioning authority for allotment of land after due clearance from PCC is the Managing Director, BIADA.

4.3 BIADA shall call for application for allotment of land specifically under the categories mentioned in para 1.1 online and the scrutiny of application shall happen under each category.

**5. Procedure of allotment**

5.1 The Managing Director, BIADA shall conduct scrutiny of the application received online based on the pre-qualification criteria prescribed below:-
- (i) Net-worth of investor- should be at least 20% of the proposed investment.
- (ii) The investor must have an average annual turnover of at least Rs. 50 crores in the preceding three accounting years.
- (iii) The investor should have an operating profit in at least two of the previous three years.
- (iv) For allotment of plots under category 1.2(a), the pre-qualification criteria mentioned in Sub-clause (I), (ii) and (iii) above shall not apply. The applicant should have a valid sanction under any government scheme, sanctioned bank loan or should have a bank deposit showing the source of funding of the project. New entrepreneurs and startups will also be considered for allotment of these plots.

All the applications meeting the pre-qualification criteria should be presented to the PCC for necessary clearance and approval. The documents required in this regard shall be prescribed byBIADA.

5.2 The applications meeting the pre-qualification criteria will be evaluated based on the following criteria and weightage for each category before being placed at the PCC:-
- (i) Investment size - 30%
- (ii) Investment to area of land ratio - 20%
- (iii) Employment intensive industries
  - (a) 10% if the industry falls under the category (as identified under Clause 3.2)
  - (b) 10% ratio of employment! area of land applied
  - (c) 10% if 25% of labour which returned during Covid are employed [data from the related website of the State Government]
- (iv) Priority & High Priority Sectors- 10% (Units in High Priority Sectors and Priority Sectors in terms of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, will get 10 points and 5 points respectively)
- (v) Turnover of the investor - 10% (Investors having turnover more than Rs. 100 crore shall get 10 points and the rest shall be prorated).

The weightage and the calculation methodology shall be published on the BIADA website.

5.3 Uniform minimum cut off marks shall be decided by the Project Clearance Committee (PCC) of BIADA and the same will be communicated to the applicants before preparation of ranking list. If the number of eligible applicants is more than the number of available plots in that category, the PCC shall decide the allotments

on the basis of ranking of the applicants in that category. Any wrong declaration of data mentioned in para 5.2 shall invite penalty as mentioned in para 9.6

5.4 All unsuccessful applicants either eliminated at the pre-qualification stage or later on the basis of ranking shall be informed and their security money shall be refunded. Thereafter, whenever, there are more plots available, they would be eligible to submit fresh online applications.

5.5 Those applicants having investment proposals of more than Rs.500 crores in Plant and Machinery, or direct employment to more than 500 persons shall be given preference of 10 points in the matter of allotment of land subject to availability and also given priority in allotment.

5.6 JVs formed under Clause 6.9 of Bihar Industrial Investment promotion Policy, 2016 shall be eligible for land allotment under this Policy on priority basis and criteria mentioned in Clause 5.2 above shall not apply to them.

5.7 Those units which are already working in BIADA, having turnover exceeding Rs. 15 crores and are desirous of expansion with expansion plan involving investment in plant and machinery of Rs. 15 crores or more and direct employment of 50 persons or more shall be given preference of 10 points in allotment. They will get priority in allotment to adjoining vacant lands.

5.8 Allotment as per the provisions of Clause 2.2 above shall be allotted on the basis of the sanction orders under various State Government / Government of India schemes. The date of such sanction or recommendation by State Investment Promotion Board (SIPB) (in case the investment does not relate to a Government sponsored scheme) shall decide the seniority of the applications. All applications shall be processed under First-in-First-Out (FIFO) method. The SC/ST beneficiaries shall be given priority over all other categories of beneficiaries. No other qualifying criteria shall be required under this category of allotment.

5.9 Allotment under the provisions of Clause 5.I.(iv) above shall be done on the basis of the sanction orders under various State Government! Government of India schemes. The date of such sanction or recommendation by SIPB (in case the investment does not relate to a Government sponsored scheme) shall decide the seniority of the applications. All applications shall be processed under First-in-First-Out (FIFO) method. The SC/ST beneficiaries shall be given priority over all other categories of beneficiaries. Other preconditions as mentioned in Clause 5.1(iv) shall apply.

**6. Pricing and payment terms of the Plots**

6.1 Following principles will be applied when determining the rates of industrial land:

(i) Rate of industrial land in industrial areas of BIADA shall be 1.5 times that of adjoining agricultural land and wherever adjoining agricultural land is not available, the rate of BIADA land shall be equal to that of adjoining developing land rate. In case the developing land rate is not available then the adjoining residential land rate shall be considered.

(ii) In case, 1.5 times of the agricultural land rate is more than that of the developing land rate, the rate of BIADA land shall be capped at the rate of such adjoining developing land.

(iii) If due to this revision in pricing of land rate in BIADA, the rate gets discounted more than 50% of the rate as on the date of notification of this policy then the downward revision in BIADA land rate shall be capped at 50% of the pre-revision rate (rate existing prior to this policy).

(iv) The land shall not be offered to the allottee below the cost of acquisition of the land by BIADA.

6.2 For the purposes of calculation of stamp duty and other fees on BIADA lands, rates determined under this Policy only shall be taken by the Registrar of Lands {including the exemptions notified under The Bihar Agriculture Land (Conversions for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Amended from time to time)}.

6.3 All lands allotted under this Policy shall be exempt from stamp duty and registration charges before the Registrar of Lands {including the exemptions notified under The Bihar Agriculture Land (Conversions for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Amended from time to time)}.

6.4 If any land in an industrial area of BIADA comes within the territorial limits of or shares border with a Nagar Nigam, Metropolitan Authority (including Patna) or the industrial area is adjoining municipal (Nagar Nigam) limits, shall be kept out of the land rate discount mentioned in Clause 6.1 above and the previous rate prior to this policy shall continue to be in force.

6.5 During the operation of this Policy, BIADA shall levy only 25% of industrial land rate mentioned at Clause 6.1 towards Development charges attributable to the plot. The resultant resource gap for development of land shall be provided to BIADA by the Government towards development of industrial area. Other charges and levies of BIADA shall remain unchanged. An additional amount of 10% of industrial land rate mentioned at Clause 6.1 shall be charged by BIADA towards administrative cost which shall include maintenance charges of Industrial area. The taxes as applicable from time to time shall be payable by the allottee.

6.6 The allottee under this Policy shall get 10 years to repay the land allotment charges calculated by BIADA. The first installment in this case shall be 10% of the total allotment charge and all remaining 9 yearly installments shall be payable in advance through post dated cheques. The applicable rate of interest under this Policy shall be RBI declared bank rate (as on 151 January of the year of allotment) + 2% on reducing balance basis. If an allottee wants to prepay the allotment dues, there shall be no prepayment penalty, balance allotment dues shall be calculated from the date of payment without any interest.

6.7 If an investor desires to pay full allotment charges upfront, he shall be entitled to 25% discount on the allotment charge.

6.8 An investor getting land under this special Policy shall commence construction work within one year of date of allotment and commercial production within three years of date of allotment failing which the allotment shall be cancelled, allotment charges paid shall be forfeited and resumption of plot shall be taken immediately by BIADA on such cancellation. All the benefits availed! being availed under this policy shall seize from the date of such default as per terms and conditions as declared by BIADA.

6.9 An investor who has been allotted land under this Policy shall not be allowed to transfer land before the start of commercial production. However, an investor will be entitled to transfer his land after commercial production. The transfer charges as prescribed by BIADA shall apply.

**7. Procedure of receipt of applications**

After these new procedures and prices are notified, fresh applications shall be invited online only for the existing plots. Thereafter, the applications received under this Policy shall be decided as per procedure and prices contained herein. The PCC shall decide all the applications received within a month within the next fifteen days. The PCC shall be free to decide the schedule for the meeting however it shall be ensured that at least one meeting is held every month.

**8. One-time amnesty**

A large part of the Industrial Areas is under various stages of litigation leading to the industrial areas remaining unutilized. In order to ease these lands under litigation, the following voluntary amnesty shall be available:

(i) All allottees of industrial lands under the industrial area shall be allowed to transfer their industrial plots/sheds, irrespective of the status of the allotted plot/shed, to a transferee after settling all the dues of BIADA and after paying transfer charges. The allottee, under the amnesty scheme, can also transfer a vacant plot/shed to a transferee. The new allottee shall only use the plot/shed as per the provisions of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016. The allottee shall apply for permission for transfer. In case the permission is not granted within a month it shall be deemed to have been granted. However, deemed permission shall apply to only those activities for which industrial plots can be utilised as per Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

(ii) All allotees who possess an industrial plot/shed can change the acnvmes to any activities identified under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. No permission shall be required for change of activity. The BIADA may be informed of the change of activity within one month of the change of the activity. All required fees for change of activity are waived.

(iii) Any allottee whose land allotment was cancelled and has filed an appeal in any court of law can on the condition of withdrawal of appeal shall have the option to nominate an allottee for the plot under appeal. Such a nominee shall only be allotted afresh under this policy. The appellant shall have to forego the option of ap peal in any court of law through an affidavit. The new allottee can only carry out activities as per the provisions of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016.

The amnesty scheme shall be purely voluntary. The appellant may continue to pursue their appeals in case they wish to not opt for this amnesty scheme. The above amnesty scheme shall only be valid for the period of this policy. BIADA shall prescribe necessary formats for application under each category.

**9. Other Terms and Conditions**

9.1 The applicants applying under this policy for land allotment will also be eligible for incentives under "Chapter 6A. Special Incentive Package for attracting Investments and retaining workers returning to Bihar on account of Covid-19 scenario" as notified under the amendment to the "Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016" (Notification No. 883 dated 29th June 2020).

9.2 BIADA shall establish a "License Facilitation Desk" which will provide a one-stop-shop service for facilitating clearance from all concerned Departments/ Agencies to the successful applicant receiving land allotment under this policy.

9.3 All activities to be carried out in the allotted industrial areas plots shall be as per the provisions of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

9.4 All the other terms and conditions of BIADA such as Cancellation Policy shall apply.

9.5 The present policy shall override allotment policy 2013 during the policy period. The rate for calculation for various provisions shall be at the current rate of allotment and the current MVR of the land as notified by the State Government.

9.6 This policy shall not be misused for the purpose of speculation of real estate. All the provisions of cancellation under the BIADA Act shall be strictly enforced in the case where provisions of this policy have been mis-utilized. BIADA shall decide the market rate and penalty for such squatters and speculators which shall not be less than twice the rate of allotment of the land as on the date of such violation.

In case the land is obtained by a wrong declaration under para 5.2 the quantum of shortfall percentage multiplied by twice the rate of allotment, shall be recovered i.e ( % shortfall in between declaration and actual implementation multiplied by two times of rate of allotment)

**10. Period ofthe policy**

This Policy shall be applicable for only one year from the date of notification. The Govermnent of Bihar may from time to time issue such other and further directions which may facilitate implementation of this policy and/or found necessary to be followed in the interest of industrialization in the State of Bihar.

11. If there is any conflict between Hindi version and English version of the notification, notification in English version shall prevail over the Hindi version.

By the Order of the Governor of Bihar
S/-
**(S. Siddharth)**
Principal Secretary,
Department of Industries, Bihar, Patna.

Memo No - 2528, Patna Dated : 10.09.2020
File No- 5/SM (SLP)-20/2012/(Part)

Copy to : The Superintendent, State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar Gazette. It is requested to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.

निकोटिन युक्त गुटखा एवं पान मसाला का राज्य में निर्माण, बिक्री, भंडारण एवं प्रदर्शन पर दिनांक 17 सितम्बर 2020 से एक साल के लिए रोक लगा दिया गया है। इस संबंध में खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

**The Bihar Gazette**
**EXTRA ORDINARY**
PUBLISHED BY AUTHORITY

**26 BHADRA 1942(S)**
**(NO.PATNA 590) PATNA, THURSDAY, 17th SEPTEMBER 2020**

**खाद्य संरक्षा आयुक्त का कार्यालय**
**ORDER**
17th September 2020

No. FSC/22/2012-1078(15)—WHEREAS, Regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 made by the Food Safety and Standards Authority of India in exercise of the powers conferred by clause (l) of Sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Cenral Act 34 of 2006) read with section 26 thereof, prohibits article of food in which tobacco and nicotine are used as ingredients as they are injurious to health;

AND WHEREAS, Hon'ble Apex Court in the matter Transfer Case (Civil) No: 1/2010 in its order dated: 23.09.2016 directed the Secretaries of the Health Department of all the states to ensure total compliance of ban imposed on manufacturing and sale of Gutkha and Pan Masala with tobacco and/or nicotine.

AND WHEREAS, Gutkha and Pan Masala are article of food in which tobacco and nicotine are widely used as ingredients now-a-days;

AND WHEREAS, it is expedient to prohibit Gutkha and Pan Masala containing tobacco and nicotine in the State of Bihar , being food products in which tobacco and nicotine are widely used as ingredients;

AND WHEREAS, The Commissioner of Food Safety of the State is empowered under Section 30 (2) (a) of the Food Safety and Standards Act, 2006 to prohibit for one year, in the interest of public health, the manufacture, storage, distribution, transportation, display or sale of any article of food in the whole of State.

AND WHEREAS, it is one of the primary duties of the State, inter alia, to improve public health, as a matter one of the directive principles as enshrined in the article 47 of the Constitution of India and, Whereas, it implicitly includes the concept of provision of measures of citizens' health;

THEREFORE, I, Lokesh Kumar Singh, Food safety Commissioner, Government of Bihar, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), prohibit in the interest of public health for a period of one year from 17.09.2020, the manufacture, storage, distribution, transportation, display or sale of any type of Gutkha and Pan Masala containing tobacco and/or nicotine, whether packaged or unpackaged in whole of the State of Bihar.

By Order
**Lokesh Kumar Singh**
Commissioner of Food Safety, Bihar

## 69 अनुसूचित नियोजनों की 1.10.2020 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

| कामगारों की कोटि | दिनांक- 01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018 +01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019+01.04.2020 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें ( रुपये में ) | परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2020 से प्रभावी होगी | 01.10.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें ( स्तंभ 3+4 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अकुशल | 237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00=287.00 | 5.00 | 292.00 प्रतिदिन |
| अर्द्धकुशल | 247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00=299.00 | 5.00 | 304.00 प्रतिदिन |
| कुशल | 301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00=364.00 | 6.00 | 370.00 प्रतिदिन |
| अतिकुशल | 367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00=444.00 | 7.00 | 451.00 प्रतिदिन |
| पर्यवेक्षीय/लिपिकीय | 6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00=8227.00 | 136.00 | 8363.00 प्रतिमाह |

**EDITORIAL BOARD**

Editor
**AMIT MUKHERJI**
Secretary General

Convenor
**RAMCHANDRA PRASAD**
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
**A. K. DUBEY**
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296